Gender Identity : An Evaluation Of Attitude Of Students And Teachers Towards Traditional Gender Roles

Anupriya Dixit
JRF (Department of Sociology)
Mata Jijabai Government Girls P.G. College, Moti Tabela Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

ABSTRACT :- This paper focuses on the dominance of conventional gender stereotypes among the students of a tenth standard of a private school. An attempt has been made to reveal a student's affinity towards the conventional gender stereotypes associated with traditional division of labor in family, authority pattern, distribution of familial responsibilities, workplace achievement, leadership patterns, sexual consent, parental responsibility, menstrual taboos, etc. through the collection of primary data by a questionnaire survey conducted on 50 respondents i.e. 30 boys and 20 girls of class 10^{th} of a private school. It is of utmost importance to know the degree of impact of these stereotypes on a student's psychology and value system before endeavor to make amends in the education system to ensure a gender neutral environment of students.

Key words : gender socialization, stereotypes, gender identity.

INTRODUCTION :- Gender identity is one's personal experience of one's own gender.[1]"Gender identity refers to an individual's personal sense of identity as masculine or feminine, or some combination thereof. One's innermost concept of self as male, female, a blend of both or neither – how individuals perceive themselves and what they call themselves. One's gender identity can be the same or different from their sex assigned at birth.[2]. In every society, there exists a set of gender categories that is used as a basis of formation of an individual's social identity with respect to the other members of society. Every gender is associated with certain gender roles and expectations that an individual of a particular gender has to adhere to. These social expectations and roles are often inculcated within an individual through the process of socialization. The sociology of gender examines how society influences our understandings and perception of differences between masculinity (what society deems appropriate behavior for a "man") and femininity (what society deems appropriate behavior for a "woman"). [3] The conventional gender binary that exists in society involves certain conventional gender stereotypes associated with masculinity and feminity. Children learn at a young age that there are distinct expectations for boys and girls. Cross-cultural studies reveal that children are aware of gender roles by age two or three. At four or five, most children are firmly entrenched in culturally appropriate gender roles. Children acquire these roles through socialization, a process in which people learn to behave in a particular way as dictated by societal values, beliefs, and attitudes. For example, society often views riding a motorcycle as a masculine activity and, therefore, considers it to be part of the male gender role. Attitudes such as this are typically based on stereotypes, oversimplified notions about members of a group. Gender stereotyping involves over generalizing about the attitudes, traits, or behavior patterns of women or men. For example, women may be thought of as too timid or weak to ride a motorcycle.

Since a very young age, children are immersed in this process of socialization through

[1] Morrow . F. Deana and Lori Messinger. (2006).Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice. 8. ISBN 0231501862
2. Campaign, Human Rights. "Sexual Orientation and Gender Identity Definitions - Human Rights Campaign
3. Campaign, Human Rights. "Sexual Orientation and Gender Identity Definitions - Human Rights Campaign"
4 .Anna Reimondos and Peter McDonald.Gender and Reproductive Health Study Attitudes to gender roles among school students Ariane Utomo, Iwu Dwisetyani Utomo.

their family, schools, and the media. Understanding and mapping young people's perceptions of gender roles is a crucial first step.[4](Gender and Reproductive Health Study Attitudes to gender roles among school students Ariane Utomo, Iwu Dwisetyani Utomo, Anna Reimondos and Peter McDonald). In this study, I have attempted to evaluate the presence of conventional gender stereotypes among the high school students which often is a result of gender socialization in their household via conventional division of household labor, teaching of gender biased values. The knowledge of the degree of inculcation of conventional gender stereotypes through a student's family and society is important, if one wants to inculcate gender
In this study, my aim has been to determine and analyze the presence, prevalence and degree of conventional gender stereotypes among the students of class tenth of a private school and their attitude towards the conventional division of labor in a household. The study also involves an assessment of presence of conventional gender stereotypes among the teachers of the same school.

AREA AND METHODOLOGY OF STUDY : With a view to obtain firsthand information, a field survey

neutral values among school children through school education and curriculum. Also, it is even more important to ensure that our educators are free from the bias based on gender which is an obvious outcome of their own upbringing and socialization. There must be needed an evaluation of the presence of conventional gender stereotypes among the school teacher's in order to look out for ways to prevent their gender stereotypes to prove a hindrance in imparting a gender neutral education to their students. Therefore, an attempt has also been made to evaluate the presence of conventional gender stereotypes among school teachers.

PURPOSE OF STUDY

of a private school of Indore city (Shiv Convent School) was conducted and 50 students of class tenth (20 girls and 30 boys) as well as 15 teachers (3 males and 12 females) have been selected as samples. Conclusions have been drawn on the basis of analysis of primary data collected from respondents using two questionnaires (a 10 question questionnaire for teachers and a 20 question questionnaire for students whereas various research papers and thesis have been used as a secondary source of data collection.

INTERPRETATION AND ANALYSIS

Table 1 shows an evaluation of response of conventional gender stereotypes among the class tenth students.

S. No	BASIS	AGREE		DISAGREE		TOTAL (%)
		BOYS (no and %)	GIRLS (no and %)	BOYS (no and %)	GIRLS (no and %)	

1	A father's job is to earn money for the family, and a mother's job is to look after family	25 (80.6)	15 (75)	5 (19.4)	5 (25)	100
2	There are more men than women in the technology sector	28 (93.3)	14 (70)	2 (6.7)	6 (30)	100
3	There are more women than men in the arts sector	22 (73.3)	10 (50)	8 (26.7)	10 (50)	100
4	Men should also participate in doing housework	4 (13.3)	12 (60)	26 (86.7)	8 (40)	100
5	Having a male or a female principal makes no difference	28 (93.3)	20 (100)	2 (6.7)	0	100
6	In difficult financial situations, boys are prioritised over girls to receive further education	25 (80.6)	16 (80)	5 (19.4)	4 (20)	100
7	In employment, more attractive women get better chances than those who are less attractive	26 (86.6)	5 (25)	4 (13.4)	15 (75)	100
8	Indians prefer to work with a male boss than a female boss	25 (83.3)	18 (90)	5 (16.7)	2 (10)	100
9	The world will be a better place when women become leaders	20 (66.6)	17 (85)	10 (33.4)	3 (15)	100
10	A wife does not need to work if her husband is working	26 (86.6)	8 (40)	4 (13.4)	12 (60)	100
11	Textbooks in India talks more about boys than girls*	18 (60%)	16 (80)	16 (53.3)	4 (20)	100

12	Textbook in India contains more pictures of boys than girls	18 (60)	17 (56.6%)	12 (40) (85)	3 (15)	100
13	A woman shouldn't work after a baby if her work obstructs the proper upbringing of the baby	28 (93.3)	13 (65)	2 (6.7)	7 (35)	100
14	A man is equally responsible for taking care of his baby	11 (36.6)	9 (45)	19 (63.33)	11 (55)	100
15	A man is equally responsible for the household chores	2 (6.7)	6 (30)	28 (93.3)	14 (70)	100
16	A housewife does not need permission by her husband if she wants to go out	10 (33.3)	12 (60)	20 (66.7)	8 (40)	100
17	A woman should never deny sex to her husband	26 (86.6)	11 (55)	4 (13.4)	9 (45)	100
18	A housewife does not need permission by her husband if she wants to work	8 (26.6)	8 (40)	22 (73.4)	12 (60)	100
19	Community leaders must include women	26 (86.6)	19 (95)	4 (13.4)	1 (5)	100
20	A women is impure in her periods	30 (100)	18 (60%)	0	2 (40%)	100

Following conclusions can be drawn from the analysis of the above table:

1. Majority of boys (80.6%) and girls (75%) believe that in the traditional division of labor in family i.e. a man is to earn and a women is to take care of the household. The fact that even the majority of girls conform to the notion of conventional division of responsibilities indicates that these values are inculcated more in an unconscious way to them through socialization than consciously.
2. Most students (93.3% boys and (70%) believe that technology sector is monopolized by males which indicates the psychological emphasis on the notion that men are better performers in analytical and technical areas than women whereas artistic and relatively less technical sectors like humanities,

fashion designing and home science are better suited for women.

3. Majority of boys (86.7%) are unconvinced about the ideal of equal responsibility towards their homes. They believe that it is not a part of their essential responsibility to do the household chores and it was revealed on further discussion with them that usually the men who assist their mothers or wives in the household work should be appreciated by them as they go out of their way in making an effort to do a job that is conventionally not assigned to them in the first place whereas most girls (around 70%) support the idea of equal distribution of household responsibilities as a result of changing times and work culture. It was known after further discussion that young girls prioritize their career over the household responsibilities and expect a certain level of respect and understanding from their future life partners and families towards their career.
4. There is unanimity on the opinion that the gender of a school Principal has nothing to do with their administrative and management caliber.
5. It is a common belief among most students (80.6% boys and 80% girls) that their families support the educational needs of boys in firsthand in case of a difficult financial situation in their families.
6. There is a vast difference of opinion among children regarding the reasons behind a person's promotion. Majority of boys affirmed that men become what they achieve whereas a women's achievement is a result of an amalgamation of her lady charm and beauty. However, girls were found to ridicule the idea of association of a women's career graph with her beauty and looks. They were of the opinion that a person's achievements are a result of one's hard work regardless of ones gender.
7. There was unanimity on the opinion that women face more hostility of subordinates and employees as a boss as compared to male bosses whereas majority of students (around 66% boys and 85% girls) affirmed the belief that a world will become a better place if more women participate in leadership roles.
8. Maximum boys(86.6%) showed a minimal accord towards a women's right to consent as they believe that it is a woman's duty to provide sexual pleasure to her husband whenever he asks for it and even majority of (55%) also accorded with the belief that providing pleasure to husband is a duty of a wife. This reveals the vast magnitude of student's ignorance towards the consent debate
9. Majority of student's (60% boys and 80% girls) affirmed that their school textbooks talk more about boys than girls and there are more pictures of boys than girls in them (60% boys and 56.6% girls).
10. There is a vast division on opinion on the issue of a working wife. Around 86.6% boys feel that a wife does not need to work if her husband is working whereas only meager 26% girls affirmed with this view.
11. Only 36.6% boys believed that a man is equally responsible for taking care of their baby and it is primarily a women's job to cater to the needs of children. Even the girls were unanimous on the fact that it is primarily a woman's job to attend to the needs of children which shows that the stereotype associated with parental responsibility is deeply enrooted among the students irrespective of their gender.
12. There is a common accord regarding the conventional stereotype associated with women's periods. It was revealed on further discussion that majority of the students (100% boys and 60% girls) were unaware of the fact that period blood is the purest blood released from a

woman's body and agreed that a woman becomes defile during her period and should not enter the kitchen or go near the gods.

CONCLUSION : It can be clearly concluded from the analysis of that students have deeply adapted the conventional gender stereotypes that exist in their surroundings, Although education and awareness has also affected the students in altering some of the stereotypes regarding working behavior, leadership pattern, household division of duties, but majority of stereotypes regarding conventional authority in family, the notion of subordination and permissibility of doing a job, taboos associated with menstruation ,sexual consent have become a part of their value system. Although girls were found to be less attached to the stereotypes as compared to boys but there is a long way for them as well to become a gender neutral individual. A gender neutral education policy and curriculum is the need of the hour along with application of gender neutral educators.

REFERENCES :

1. Anna Reimondos and Peter McDonald.Gender and Reproductive Health Study Attitudes to gender roles among school students Ariane Utomo, Iwu Dwisetyani Utomo.
2. Prior. Sarah. (2012)Schooling Gender:Identity Construction in High School.Arizona State University
3. Behera, Binita. (2002). Schooling and the Construction of Gender Identities: A Study of a Co-Educational School in Orissa, Jawaharlal Nehru University.
4. Campaign, Human Rights. "Sexual Orientation and Gender Identity Definitions - Human Rights Campaign

5. Mishra, and others.(2012). Socialization and gender bias at the household level among school attending girls in a tribal community of the Kalahandi district of eastern India. Anthropological Notebooks. Slovene Anthropological Society. 18:2
6. Morrow. F. Deana and Lori Messinger. (2006).Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice. 8. ISBN 0231501862

रेलवे में कार्यशील महिलाओं हेतु कल्याणकारी योजनाओं का आर्थिक कल्याण

श्रीमति सुनीता कुमारी
अर्थशास्त्र शोधछात्रा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.

प्रस्तावना :– जब किसी व्यक्ति को कार्य के बदले धनार्जन होता है, और मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति हो, आर्थिक कल्याण कहते है। उसके विपरीत जब व्यक्ति को कार्य के बदले मे धन की प्राप्ति नहीं होती है, किन्तु मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, तो उसे अनार्थिक कल्याण कहा जाता है। किसी भो संगठन के द्वारा इन्हीं दो कल्याण के अर्न्तगत कल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। प्रो. पीगू को कल्याण वादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है।

उत्पत्ति के प्रमुख अंग है :– भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एवं संगठन उत्पत्ति के इन समस्त अंगो में 'श्रम' का अपना विशेष महत्व है। यह एक सजीव एवं क्रियाशील साधन है, तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों का समुचित रूप से उपयोग कर उत्पादन करता है। श्रम के अभाव में उत्पत्ति के समस्त अंगो का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। इस प्रकार, श्रम प्रकृति प्रदत्त साधनों का समुचित रूप से विदोहन करता है, तथा उसे उत्पत्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है, अर्थशास्त्री श्रम को 'धन उत्पन्न करने वाला साधन' मानते हैं। श्रम धन की उत्पत्ति का प्रमुख साधन होते हुए भी उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, अतः उत्पत्ति का प्रमुख एवं क्रियाशील साधन होने के कारण उसकी दशा में सुधार की आवश्यकता समस्त वर्गो ने महसूस की।

श्रम कल्याण का अर्थ एवं परिभाषा :– ''श्रम कल्याण'' की एक सर्वमान्य परिभाषा करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योकि भिन्न– भिन्न स्थानों की परिस्थितियों भिन्न–भिन्न रहने के कारण उसका अलग – अलग अर्थ लगाया जाता है, जबकि उद्देश्य एक है। उसकी पुष्टि ''शाही श्रम आयोग'' के उस कथन से हो जाती है, कि यह एक ऐसा शब्द है, जो बहुत लचीला है। उसका अर्थ एक देश से दूसरे देश की तुलना में उसकी विभिन्न सामाजिक रीतियों, औद्योगीकरण की स्थिति तथा श्रमिकों की शिक्षा सम्बंधी प्रगति के अनुसार भिन्न–भिन्न लगाया जाता है। श्रम कल्याण से अभिप्राय उन समस्त योजनाओं से है, जो संगठन के बाहर तथा भीतर श्रमिकों के शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए लागू की जाती है। विभिन्न विद्वानों ने श्रम कल्याण की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है, उनमें से कुछ परिभाषा निम्न लिखित है–

बाल्फर (Balfour Committee) के अनुसार – ''"अति विस्तृत रूप मे इसके अर्न्तगत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम एवं सामान्य कल्याण से प्रभावित करने वाली सभी बातों का समावेश होता है, और शिक्षा, मनारंजन, बचत योजनाओं तथा स्वास्थ्यप्रद गृहों आदि का प्रावधान होता है।"

ई. एस. प्राउड के शब्दो में :– "श्रम कल्याण से तात्पर्य विद्यमान औद्योगिक प्रणाली तथा अपने कारखानों में रोजगार की दशाओं को उन्नत करने के लिये मालिकों द्वारा किये गये ऐच्छिक प्रयत्नो से है।"

सामाजिक विज्ञानों का विश्वकोष के अनुसार श्रम कल्याण से तात्पर्य कानून, औद्योगिक व्यवस्था के अर्न्तगत श्रमिकों के कार्य करने और कभी–कभी जीवन–निर्वाह करने की उन्नत दशाओं को उपलब्ध करने के ऐच्छिक प्रयत्नों से है।[2]

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार – ''श्रम कल्याण ऐसी सेवाओं और सुविधाओं को समझा जाना चाहिए, जो कारखानों के अंदर या निकटवर्ती स्थानों कें आयोजित की गयी हो ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में अपना काम कर सकें तथा अपने स्वास्थ्य और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सके''।[3]

ब्यूरो ओर लेबर स्टेटिस्टिक्स (यू.एस.ए.) के अनुसार ''कर्मचारियों के आराम तथा बौद्धिक एवं

1.'' Labour welfare implies the voluntary efforts the employers to establish, within the individual System, working and sometimes living conditions of the employees beyond what is required by law, the custom of the industry and the condition of the market.''
Encyclopedia of Social Science, Vol XVI, 1935, P.395
2. Workers welfare should be understood as meaning such, servies, Facilities and amenites which may be established in, or vincity of, undertaking to enable the persons employed in them to perform their work in healthy and high morel I.L.O. Asian Conference, Report II P3

शारीरिक प्रगति के लिये मजदूरी के अतिरिक्त ऐसा कोई भी कार्य किया जाये जो न तो उद्योग के लिये आवश्यक हो और न वांछनीय हो हो''[4]

श्रम जांच समिति, **1945** – (Labour Investigation Committers 1945) के अनुसार, "श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक तथा आर्थिक कल्याण के लिये किया गया, कोई भी कार्य जो वैधानिक कानून तथा मालिकों एवं श्रमिकों के मध्य अनुबंधित लाभों के अतिरिक्त हो, चाहे वह मालिकों, सरकार अथवा अन्य संस्थाओं के द्वारा किया गया हों, श्रम कल्याण कहलाता है।[5]

कल्याण एक अनिश्चित और भाववाचक शब्द है। जिसकी परिभाषा करना सरल नहीं है, यह एक ऐसी धारणा है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में वर्णन नही किया जा सकता है।

1. प्रो. पीगू के अनुसार – अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य मानव कल्याण की वृद्धि करना है। उनके की शब्दों में – हमारी प्रेरणा दार्शनिक की प्रेरणा नहीं है, जो अपना अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिये करता है, वरन् हमारी प्रेरणा जीवशास्त्री की प्रेरणा है, जिसके अध्ययनकाल की प्राप्ति के लिये है। पीगू के अनुसार –यदि उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाये जिन पर कल्याण आधारित है, तो हमारा अध्ययन उतना जटिल हो जायेगा। अतः अपने अध्ययन के सीमित करना आवश्यक है। प्रो. पीगू के शब्दों में – ''सामाजिक जीवन में हमारें पास कवल मुद्रा का मापदण्ड है, अतः हमारे अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित होना चाहिए जिसे मुद्रा के मापदण्ड के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। कल्याण के उस भाग को अनार्थिक कल्याण कहते है।''

प्रो. पीगू को कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इस प्रकार पीगू ने कुल कल्याण को दो भाग में विभक्त किया है – आर्थिक कल्याण और अनार्थिक कल्याण। किन्तु आर्थिक कल्याण एवं अनार्थिक कल्याण को पृथक करना संभव नही है। क्योंकि इन दोनों का अन्तर सदैव स्पष्ट नहीं होता है। पीगू ने इन कठिनाइयों को स्वीकार किया है।

प्रो. पीगू ने 'कल्याण' को 'अच्छा' से सम्बंधित किया है। अतः स्पष्ट है कि 'कल्याण' शब्द की परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है। इसका अर्थ देश, समय और व्यक्तियों के स्वभाव के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। कल्याण के विषय में निम्न बातें सर्वमान्य है –

कल्याण एक आत्मिक प्रतिभास है – प्रो. पीगू के मतानुसार, कल्याण चेतना की परिस्थितियों में निर्मित होता है। दूसरे शब्दों में कल्याण एक आत्मिक प्रतिभास है, और उसमे केवल वही वस्तुए आयेंगी, जो चेतना की स्थिति मे होगी। चेतना रहित वस्तुएं (जैसे– अनाज, साइकिल आदि अथवा भौतिक परिस्थितियां) इसके अर्न्तगत नहीं आती।

कल्याण की माप सापेक्षिक है – कल्याण को रूपये–आनो में, मन फेरों में, अथवा गज–फुटों में, आदि निश्चित इकाइयों मे मापा नहीं जा सकता। इसे तो केवल दो श्रेणियों में – अधिक या कम में ही मापा जा सकता है। यदि मनुष्य के दो वर्गों के अधिक कल्याण की माप करना हो तो इम केवल इतना कह सकते है, कि अमुक वर्ग का आर्थिक कल्याण दूसरे वर्ग की 'अधिक अथवा कम' है। इस प्रकार स्पष्ट है, कि कल्याण की माप सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं।

आर्थिक कल्याण एवं अनार्थिक कल्याण – कल्याण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसे प्रभावित करने वाले कारण असंख्य है। उन्होने कल्याण के कुल दो भाग किये है – आर्थिक कल्याण एवं अनार्थिक कल्याण।

कल्याण की धारणा (Concept of Welfare) – पीगू के अनुसार एक व्यक्ति के मन या चेतना में कल्याण रहता ह, जो उसकी संतुष्टि या उपयोगिता से बनता है। इस प्रकार, जिस सीमा तक एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है, वह आवश्यक तौर पर उसके कल्याण का आधार है। सामाजिक कल्याण एक समाज में सभी व्यक्तियों के कल्याणों का एकत्रीकरण समझा जाता है। क्योकि सामान्य कल्याण एक बहुत विस्तृत, जटिल तथा

3. "Anything for the comfort and improvement intellectual and social, of the employees, over and above wages paid, which his not a necessity of the industry nor required" United states Bureau of Labour statistics.
4. "Anything done for the Intellectual, Physical and moral and economic betterment of the workers, whether by employers, by government or by other agencies over and above what is laiddown by law or what is normally expected as part of the contractual benefits for which the workers a have bargained" Labour Indvestigation Committee (1945)

अव्यावहारिक धारणा है, इसलिये प्रो. पीगू अपने अध्ययन की सीमा को आर्थिक कल्याण तक ही सीमित करते हैं जैसे वह स्वयं ही कहते है, कि आर्थिक कल्याण, कुल कल्याण का किसी भी तरह सूचक नहीं है क्योकि कुल कल्याण के बहुत से अन्य तत्व, जैसे काम की गुणवत्ता, व्यक्ति का वातावरण, मानवीय संबध, पद, निवास तथा सरकारी सुरक्षा आदि आर्थिक कल्याण में वर्तमान नहीं होते, इसलिये आर्थिक कल्याण को सामाजिक (सामान्य) कल्याण का वह भाग परिभाषित करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदण्ड से संबन्धित किया जाता है। अतः पीगू के विचार में, आर्थिक कल्याण से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा विनिमय योग्य वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त संतुष्टि या उपयोगिता है।

क्या आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का मापक है ? – आर्थिक कल्याण कुल कल्याण या सामाजिक कल्याण को (Social Welfare) का अंग है। क्या आर्थिक को कुल का कल्याण प्रतीक या मापक (Barometer) अथवा सूचक (Index) माना जा सकता है, क्योंकि आर्थिक कल्याण आवश्यक रूप से कुल कल्याण का अंग होता है, वह संपूर्ण अंग में भी प्रदर्शित होना चाहिए। उदाहरण के लिये, यदि किसी आर्थिक कारण से आर्थिक कल्याण में वृद्धि (अथवा कमी) हुई है, तो यह परिवर्तन कुल कल्याण में भी दृष्टि गोचर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी मात्रा में आर्थिक कल्याण बढ़ गया है या कम हो गया है तो उतनी ही मात्रा में कुल कल्याण भी अधिक या कम होना चाहिए। इस संदर्भ में आर्थिक कल्याण को कुल कल्याण का प्रतीक माना जा सकता है।

किन्तु उर्पयुक्त तर्क में एक गंभीर दुर्लभता है, और इससे जो निष्कर्ष निकाला गया है। उसे सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। आर्थिक कल्याण को कुल कल्याण का प्रतीक माना जा सकता है। यह निष्कर्ष केवल इस मान्यता की पृष्ठ भूमि मे ही सही उत्तर हो सकता है कि कोई कारण, जो आर्थिक कल्याण को अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है, वह कुल कल्याण के उस अंग को (जिसे आर्थिक कल्याण कहा जाता है) या तो प्रभावित नहीं करे अथवा यदि इस अंग को प्रभावित करे भी तो ऐसा प्रभाव उस प्रभाव के समान ही हो जो कि उसने आर्थिक कल्याण पर डाला है। इस प्रकार आर्थिक कल्याण का प्रतीक तब तक ही हो सकता है, जब निम्न शर्तें पूरी हों –

1. आर्थिक कारण, जो आर्थिक कल्याण को प्रभावित करते है, वे अनार्थिक कल्याण को किसी भी तरह प्रभावित न करें।

2. यदि आर्थिक कारण, अनार्थिक कारण पर प्रभाव डालते ही है, तो यह आवश्यक है कि ऐसा प्रभाव उस प्रभाव के सदृश होना चाहिए कि वे आर्थिक कल्याण पर प्रभाव डालते है– अर्थात् यदि आर्थिक कल्याण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो अनार्थिक कल्याण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिए और यदि आर्थिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अनार्थिक कल्याण पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए।

इन शर्तो के विषय में हम अनुभव करेंगे कि उनकी पूर्ति असंभव है। तो ऐसी दशा में आर्थिक कल्याण को कुल कल्याण का प्रतीक, मापक एवं सूचक कहना त्रृटि पूर्ण होगा। कोई भी आर्थिक कारण, आर्थिक कल्याण को प्रभावित कर सकता है। जिसके फलस्वरूप आर्थिक कल्याण घट या बढ़ भी सकता है, किन्तु किसी आर्थिक कारण द्वारा आर्थिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन पृथक रूप से नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है, कि आर्थिक कल्याण, कुल कल्याण का कोई पृथक अंग नहीं है। इसके विपरीत, वह कुल कल्याण का एक भाग है। ऐसी दशा में पहली शर्तो की पूर्ति नहीं हो सकती है, आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाला कारण असंदिग्ध रूप से कुल कल्याण को एक ढंग से और अनार्थिक कल्याण को बिल्कुल दूसरे ढंग से प्रभावित करे और इस प्रकार दोनों प्रभाव आपस में ही कट जायें। ऐसा भी हो सकता है, कि (आर्थिक कल्याण को अनुकूल ढंग से प्रभावित करने वाला कोई आर्थिक कारण, अनार्थिक कल्याण को बहुत प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करे, जिससे कि आर्थिक कल्याण पर अनुकूल प्रभाव और अनार्थिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अर्थात् और अनार्थिक कल्याण में वृद्धि होने पर भी कुल कल्याण मे कमी संभव है। ऐसी दशा में हम निःसंकोच रूप से यह नही कह सकते कि आर्थिक कल्याण, कुल कल्याण का मापक है अथवा सूचक)।

आर्थिक कल्याण एवं कुल कल्याण में भिन्नता – यह संभव है कि किसी आर्थिक कारण का आर्थिक

कल्याण पर पड़ने वाले उस प्रभाव से भिन्न हो जो कि अनार्थिक पर पड़ता है। अर्थात् दोनों प्रभाव एक दूसरे से विरोधी हो सकते है। "मनुष्य उत्पत्ति का साधन और साध्य दोनों है।" अतः "मनुष्य के कार्य भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के हो सकते है। उनके कुछ कार्य ऐसे हो सकते है, जिनसे भौतिक वस्तुओ की उन्नति और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जैसे – सूती वस्त्र उद्योग, रेलवे, जटिल मशीनें आदि के कारण आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है।

इसके विपरीत, कुछ कार्य मनुष्य के ऐसे भी हो सकते है, जिनसे अभौतिक कल्याण में वृद्धि हो, जैसे – देश प्रेम, साहित्य सेवा, समाज सेवा आदि। इनसे उत्पन्न होने वाले कल्याण को मुद्रा के मापदण्ड के द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा अपनें विचार इस प्रकार दिये। प्रो. पीगू के शब्दों में – एक और वह व्यक्ति जो कि प्राकृतिक सौन्दर्य और कला में लीन है, जिसका चरित्र सरल एवं निःस्वार्थ है, जिसकी इच्छायें सीमित है और जिनमें सहानुभूति की भावना का प्राबल्य है। ऐसा व्यक्ति विश्व के नैतिक दृष्टिकोण से अपने में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिस प्रकार वह सोचता एवं कार्य करता है उससे कल्याण के एक भाग का निर्माण होता है। इसके विपरीत, दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो जटिल औद्योगिक कार्यकलापों को भी कर सकता है। कठिन समस्याओं की छानबीन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति उन वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिये उपयुक्त होता है जिनके प्रयोग से कल्याण में वृद्धि होती है। इन व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति जिस प्रकार के कल्याण को जन्म देता है वह अनार्थिक है, किन्तु जिस प्रकार के कल्याण को दूसरा व्यक्ति जन्म देता है, वह आर्थिक है।

सामान्य कल्याण एक बहुत ही विस्तृत, जटिल और अव्यवहारिक धारणा है, अतः पीगू ने अपने अध्ययन की सीमा को आर्थिक कल्याण तक ही सीमित किया है। उनके अनुसार – आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदण्ड से संबंधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में – आर्थिक कल्याण से आशय एक व्यक्ति द्वारा विनियोग योग्य वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त संतुष्टि या उपयोगिता है।

पीगू के कल्याण की दशाएं – पीगू के कल्याणकारी विश्लेषण में आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय परस्पर संबधित धारणायें है। उनके अनुसार –

1. आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय आय की मात्रा का फलन है।
2. आर्थिक कल्याण के ऊपर आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार पीगू ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने क लिये दो दशाऐं निश्चित की है–

प्रथम – वास्तविक राष्ट्रीय आय को अधिकतम करने से सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा, यदि साधनों की पूर्ति दी हुई है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ है – संतुष्टि की अधिक मात्रा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक कल्याण मे वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में कमी का अर्थ है – संतुष्टि की कम मात्रा, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक कल्याण में कमी होगी। अतः सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिये राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना होगा और वास्तविक राष्ट्रीय आय को अधिकतम करने के लिये साधनों का आदर्श अथवा अनुकूलतम तरीकों से वितरण करना होगा।

पीगू के अनुसार – कल्याण उस समय अधिक होगा, जब –

1. सभी उद्योगों में 'सीमान्त व्यक्तिगत शुद्ध उत्पादन' बराबर हो ताकि उत्पादन के साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग को हस्तांतरित न हों।
2. 'सीमान्त व्यक्तिगत शुद्ध उत्पादन', सीमान्त सामाजिक शुद्ध उत्पादनों के बराबर हो।

द्वितीय – यदि राष्ट्रीय आय स्थिर रहती है तो आय से अमीरों का गरीबों की ओर हस्तांतरण कल्याण में वृद्धि करेगा। ऐसे हस्तांतरण से अमीरों पर कम प्रभाव पड़ेगा और गरीबों की दशा सुधरेगी।

कल्याण की यह दशा पीगू की द्वैध धारणाओं "सतुष्टि के लिये समान क्षमता" तथा "आय की ह्रास मान सीमान्त उपयोगिता" पर आधारित है। प्रथम धारणा के अनुसार – भिन्न लोग उसी वास्तविक आय में से समान संतुष्टि प्राप्त करने है। गरीब लोगों की मूलभूत प्रकृति मे

उपभोग की अधिक क्षमताऐं है। दूसरी धारणा के अनुसार – आय का अमीरों से गरीबों की ओर हस्तांतरण, अमीरों की कम तीव्र आवश्यकताओं की लागत पर गरीबों की अधिक तीव्र आवश्यकताओं की संतुष्टि करके सामाजिक कल्याण मे वृद्धि करेगा, अतः पीगू के अनुसार सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिये आय के वितरण में समानता आवश्यक है।

पीगू के अर्थशास्त्र की मान्यताएं – पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है –

1. प्रत्येक उपभोक्ता विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है और उसका उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है।
2. उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है।
3. उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु के क्रय के दौरान मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहती है।
4. मुद्रा के संबंध में उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है।
5. उपयोगिता की अंतः वैयक्तिक तुलनाये संभव है।
6. विभिन्न लोग 'समान वास्तविक आय से समान संतुष्टि' प्राप्त करते है। पीगू ने इसे 'संतुष्टि के लिये समान क्षमता' कहा है।

पीगू की आदर्श उत्पाद धारणा –

पीगू की आदर्श उत्पाद धारणा आर्थिक प्रणाली के इष्टतम कल्याण से संबंध रखती है। पीगू ने राष्ट्रीय लाभांश को कल्याण का सूचक माना है। पीगू के अनुसार – जब सभी संसाधनों के सीमान्त सामाजिक उत्पाद का मूल्य सभी संभव प्रयोगों मे समान हो, तो राष्ट्रीय लाभांश अधिकतम हो जाता है। जहां पूर्ण प्रतियोगिता होती है, बहां इष्टतम या आदर्श उत्पाद की स्थिति अपने आप आ जाती है। पर, यदि अन्य प्रयोगों की अपेक्षा किसी भी एक प्रयोग में संसाधनों के सामाजिक सीमान्त उत्पाद का मूल्य कम हो तो सामाजिक नियंत्रण अथवा करों अथवा सब्सिडी द्वारा संसाधनों को उत्पाद के अधिक लाभप्रद प्रकारों में स्थानान्तरित कर आदर्श उत्पाद की स्थिति उपलब्ध की जाती है।

प्रो. बोमोल (Baumol)[6] ने पीगू की आदर्श उत्पाद विषयक धारणा की नई व्याख्या की है और पेरेटो के समस्त संतुलन से उसका संबंध जोड़ा ह। उनकी परिभाषा के अनुसार– आदर्श उत्पाद वह उत्पादन है जिस पर कि अर्थव्यवस्था के संसाधनो का विविध प्रयोगों में ऐसा पुर्नविभाजन नही हो सकता जो समाज को पहले की अपेक्षा बेहतर स्थिति मे पहुंचा दे। आदर्श उत्पाद की यह परिभाषा पेरेटियन स्थिति से मिलती जुलती है जिससे कल्याण तब अधिकतम होता है। जब किसी भी आर्थिक पुर्नसंगठन द्वारा कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को, दूसरों की स्थिति में परिवर्तन किये बिना, पहले से बेहतर बना दिया जाये।

बोमोल ने कल्याण अर्थशास्त्र के आधुनिक विश्लेषणात्मक औजारों की शब्दावली में आदर्श उत्पाद की समस्या का विवेचना किया है। उनका विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है –

1. बाजार मे तैयार वस्तुओं की मांग में पूर्ण प्रतियोगिता होती है।
2. सभी वस्तुओं का समाज में अनुपम रूप से वितरण होता है।
3. समाज मे रूचियां एवं प्राद्योगिकी अपरिवर्तित रहती है।
4. समाज का प्रत्येक सदस्य हर वस्तु की अधिक मात्रा को प्राथमिकता देता है न कि कम को।
5. संसाधनों के नियोजन का स्तर दिया हुआ है।
6. उपभोग एवं के उत्पादन में बाहय प्रभाव नही होते ।
7. समुदाय के उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते।
8. अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं, X तथा Y का उत्पादन होता है।

3. पेरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत – पेरेटो पहले अर्थशास्त्री थे, जिन्होने समाज कल्याण अधिकतम के वस्तुगत परीक्षण (Objective test) का पता लगाया। प्रायः पेरेटो की इष्टतमता, पेरेटो का सर्वसम्मति का नियम, पैरेटियन इष्टतम,पेरेटियन

5. W.I. Boumol, Welfare Economics and theory of state, 2nd Ed. 1965.

सामाजिक इष्टतम या सामान्य इष्टतम नामों से प्रसिद्ध पेरेटियन मापदण्ड (Paretian Critarian) यह आख्यान करता है। अथवा कि हम उस समय यह कह सकते हैं कि कल्याण बढ़ या घट गया ह। जब दूसरों की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना कम से कम एक व्यक्ति को पहले से अच्छी या बुरी स्थिति में लाया जाये। पैरेटो केशब्दों में – "अधिकतम संतुष्टि कल्याणद्ध की स्थिति वह है, जहां किसी प्रकार का थोड़ा परिवर्तन करना संभव हो, इसलिये कि सब व्यक्तियों की संतुष्टियां, जो स्थिर रहती है। उनको छोड़कर या वह सब बढ़ जाये या सब घट जाये।"

पैरेटो को प्रतिपादित सर्वोत्तम स्थिति की संकल्पना संबंधी निर्णय करने हेतु हमारे समक्ष एक मानदण्ड प्रस्तुत करती है। इसे पैरेटो का सर्वसम्मति का नियम कहते है। पैरेटो के अनुसार – ''किसी दिये हुए वितरण ढांचे में यदि उत्पादन एवं विनिमय पुर्नगठन के परिणाम स्वरूप अन्य व्यक्तियों की स्थिति के अप्रभावित रहते हुए किसी में सुधार अथवा ह्मस हो जाता है, तो इस प्रकार पुर्नगठन सामाजिक कल्याण में वृद्धि अथवा ह्मस करने वाला होगा।'' परन्तु यदि उत्पादन उवं वितरण का पुर्नगठन व्यक्तिगत आय के पुर्नवितरण के माध्यम द्वारा कुछ व्यक्तियों की स्थिति में सुधार तथा कुछ की स्थिति में ह्मस उत्पन्न करता है, तो उस परिस्थिति मे यह नही कहा जा सकता कि संपूर्ण समाज के कल्याण में वृद्धि हुई अथवा ह्मास हुआ है। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियो को हानि पहुचाये बिना किसी भी व्यक्ति का कल्याण करना महत्वपूर्ण है।

पैरेटो ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विवेचना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर किया –

1. उपयोगिता के गणनावाचक विचार की अपेक्षा उपयोगिता के क्रमवाचक विचार को स्वीकार किया।
2. कल्याणकारी अर्थशास्त्र को नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र करने हेतु उपयोगिता की अंतः वैयक्तिक तुलना की संभावना को अमान्य कर दिया।
3. उपयोगिता को वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर माना।
4. वितरण की सेवाओं को सम्मिलित करने की अपेक्षा केवल उत्पादन एवं विनिमय की कुशलता को ही सम्मिलित किया।

कल्याण के उर्पयुक्त मापदण्ड के आधार पर समाज के लिए अधिकतम कल्याण की अवस्था 'सामाजिक अनुकूलतम अवस्था' का व्युत्पादन किया जा सकता है। जिनको निम्न श्शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है – ''वितरण के किसी एक रूप को ज्ञान मान कर एक सामाजिक अनुकूलतम की वह अवस्था है, जिससे हटकर उत्पादन तथा विनिमय में कोई भी पुर्नगठन किसी एक व्यक्ति को (बिना दूसरों को हानि पहुंचाये) अच्छी स्थिति में ला सकता है।''

4. नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र या क्षतिपूर्ति सिद्धांत – **(New Welfare Economics or The Compensation Principles)**

नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता प्रो. पैरेटो और प्रो.हिक्स, कोल्डॉर एवं प्रो.लर्नर ने इसका विकास किया। प्रो. लिटिल ने नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि – ''नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र इस दृष्टिकोण से नया है कि यह विभिन्न व्यक्तियों ंकी उपयोगिता को जोड़े बिना ही उत्पादन तथा विनिमय की अनुकूलतम दशाओं को निर्धारित करने का दावा करता है। इस अर्थ में यह उपयोगिता बादी (प्राचीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र) परम्परा से पृथक है। ''प्राचीन कल्याणकारो अर्थशास्त्र की मान्यताओं की आलोचना करते हुए प्रो. पैरेटो ने नवीन आधार पर कल्याणवादी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। प्रो. पैरेटो क अनुसार समाज में कुल कल्याण उस समय अधिकतम होता है जब समाज के किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को विकृत किये बिना सुधार करना संभव न हो। दूसरे शब्दों में, पैरेटो की अधिकतम कल्याण की स्थिति वह आदर्श स्थिति है, जहां किसी एक व्यक्ति की उच्चतम उदासीन वक्र पर ले जाना उस समय तक संभव न हो, जब तक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निम्नतर उदासीन वक्र पर न धकेला जाए।

प्रो. पैरेटा के शब्दो में, ''अधिकतम कल्याण की स्थिति वह स्थिति है जहां सब व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि करना असंभव होता

है।'' इस कथन से स्पष्ट होता है कि कोई भी आर्थिक नीति जिसके कारण समाज में कुछ व्यक्तियो की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा शेष समाज की आर्थिक स्थिति यथा स्थिर बनी रहती है, तब समाज के कुल कल्याण में वृद्धि होगी। उदाहरणार्थ – यदि 'अ' की आय में कमी नही होती है तो 'ब' की कुल आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप समय के कुल कल्याण में वृद्धि होगी। कल्याण सूचकांक को परिभाषित करते हुए 'प्रो.हिक्स' एवं 'कॉल्डोर ने लिखा है कि जब एक या अधिक व्यक्ति बिना किसी अन्य व्यक्ति के संतुष्टि को हम किये हुए अधिक संतुष्ट हो जाते है तो कल्याण की मात्रा बढ़ती है। इसके विपरीत यदि वे दूसरे व्यक्ति की संतुष्टियों के बिना कम किये ही कम संतुष्ट हो जाते है, तो कल्याण घटता है।

क्षतिपूर्ति सिद्धांत की मान्यताएं –

1. यह सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तियों के अवसाद स्थिर रहते है। तथा उपभोग एवं उत्पादन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नही पड़ता है।
2. इस सिद्धांत में यह मान कर चला गया है कि उपयोगिता की गणना, संख्यात्मक माप एवं अंतः वैयक्तिक तुलनाये संभव नहीं है।
3. इसमे यह भी माना गया है कि व्यक्ति अपने कल्याण के स्वयं ही सबसे अच्छे मूल्यांकनकर्ता होते है।
4. इसमे यह भी माना गया है कि वितरण की समस्या उत्पादन की समस्या से पृथक की जा सकती है।

Books & Journals

1. Joshi, M.M. , "Trade Union Movement in India", Bombay, 1927. pp. 157-169.
2. Seth, B.R., "Labour in Indian Coal Industry", D.B. Taraporawala Sons & Co., Bombay, 1940, p.85.
3. Macaulay H.H. (1968) Fringe and Their Federal Tax Treatment .
4 . Bhattacharjee N.B.(1973) Establishment Rules and labour Laws. Pass Manual. (1974)
5. Pension and gratuity rules (1974) Manuals.
6. Indian Railway Magazine.
7. Central Railway Annual Report. 2010
8. Central Railway Statistics Summary
9. Synghal K.K. (1974) General Topics on Railways.
10. Chaturvedi R.C.(1975) Labour Economics and Labour Problems.
11. Saxena R.C.(1975) Labour Economics and Social Security.
12. General Manager Annual Report
13. Establishment code Volume - 1
14. Establishment code Volume - 2
15. Kulkarni K.H. Rail Worker .
16. Florence P.S. Labour Economics.
17. Pramod Varma, "Labour Economic & Industrial Relation", Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1987. p.381.
18. Tripathi,P.C., "Labour Welfare and Social Security", Personnel Management and Industrial Relation", Sultan Chand & Sons, New Delhi, 1988. pp 325-363
19 . Dr. Chaturbhuj Mamoria.(1996) - Personnel Management & Industrial Dr. Satish Mamoria Relations (sahitya Bhavan publication :Agra) Dr. Mohan Lal Dashora
20. Mechael, V.P., "Labour Welfare Measures and Labour Welfare officers" in Human Resource Management and Human Relations, Himalya Publishing House, Mumbai, 2001, pp. 612-618.
21. Kannan, K.P., "State Assisted Social Security for Poverty Alleviation and Human Development : Kerala's Record and its Lessons," In Mahendra Devetal, Social and Economic Security in India, New Delhi, Institute of Human Development, 2001, pp. 314-319
22. **गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 2003 समाजशास्त्र, आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति, प्रकाशन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्स (प्रा.लि.) पेज नं. 123,124,125.**

23. बी.सी. सिन्हा एवं पुष्पा सिन्हा (2004) – महिला श्रमिक बुक श्रम अर्थशास्त्र प्रकाशन मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, पेज 427

24. एम.एल. गुप्ता, (2008) – भारत में स्त्रियों की स्थिति, बुक समाज शास्त्र, प्रकाशन साहित्य भवन, आगरा पेज, 336,

25. Shashi, K. Gupta, “Labour Welfare” in Human Resource Management, Kalyani Publishers, New Delhi 2005, pp. 261-26.13.

Ethics of environmental conservation

Mudasir ahmad tantray

Ph.D. scholar of RDVV University Jabalpur M.P.

Abstract : Environmental ethics is the branch of ethics which tries to study and analyse the philosophical perspective for the protection of the environment, its importance for human existence, ecological niche and scientific development. This paper deals with the merits of environmental ethics and demerits of damaging the environment. This paper explains the concept of "environmental consciousness'' which is significant to care for man and environment. The main questions in this paper are: why we study environment ethics to conserve our existence, what is the need of environmental consciousness, what types of steps we should follow to save life, what is the connection between man and environment, What is environmental disturbance, is scientific technology and modernism conserve environment or harmful to it. All these questions are explained and clarified critically by the literature of environmental ethics. This paper shows the future of environmental ethics to sustain our life and also the role of the philosophers and philosophies that has imparted literature of environmental ethics from ancient to modern era.

Keywords : Environmental ethics, Philosophy, morals, duty, consciousness, existence, man, applied ethics.

Objectives : The main objective of this paper is to construct a moral scenario to understand our environment in which we are sustaining. The purpose of this paper is defined as follows:

1. To describe and distinguish environmental science from environmental ethics.
2. Interrelation between man to his environment and what is environmental consciousness.
3. To explain the importance of environmental ethics as doing applied ethics and it also the illustration of critique of modernism.

Introduction : Before going to explain the environmental ethical issues there is a need to clear the concept of ethics. because there is difference between environmental science and environmental ethics where former is the science which studies "what is" having its own methodology and principles and latter studies "what ought to be" possessing its reasonable methodology of normative science. Ethics is derived from the Greek word "Ethos" which means customs, character, usages or habits. It is also called moral philosophy derived from the Latin word "Mores" also means customs, behaviour and character. Ethics is the science of highest Good. environmental ethics focuses on rights, values, duties, principles and discussions on intuitionists and hedonists arguments. There is an ethical relationship those between humans, those between humans and nature and between non-human life forms in nature. Its crucial questions are about human environment such as "what do we mean when we talk about nature?" what is the value of nature?" how we should respond to environmental challenges such as environmental degradation, pollution and climate change?" "how can we best understand the relationship between the natural world and human technology and development.?" "what are our duties and virtues towards environment?" and "what is our place in natural world?". Environmental ethics is theory and practice appropriate concern for, values in, and duties regarding the natural world. Environmental ethics is even more inclusive, whales slaughtered, wolves extirpated, whooping

cranes and their habitats disrupted, ancient forests cut, earth threatened by global warming- these are ethical questions intrinsically, owing to values destroyed in nature, as well as also instrumentally , owing to human resources jeopardized. Humans need to include nature in their ethics; humans need to include themselves in nature. People are both the subject and object of ethics. humans deliberately and extensively rebuild the spontaneous natural environment and make the rural and urban environments in which they reside. We care about the quality of life in these hybrids of nature and culture. Ethics arises to protect various goods within our cultures.[1]

If we understand human-nature relationship then we can easily understand environmental moral issues. Environmental ethics is the ethical arguments about sentient beings – both wild and non-wild animals as well as the ethics for non-sentient nature such as "land ethics". environmental ethics usually includes such topics as wildlife management, concerns over deforestation, global warming, loss of bio-diversity, overpopulation, and in some cases, the treatment of farm and laboratory animals (i.e. non-wild animals). Human are often depicted as the victims of environmental degradation. Many environmental moral philosophers believe that certain sectors of the human pollution especially minorities and women suffer, along with nature, at the hands of traditionally powerful and privileged classes of people. I argue that there is tendency, especially among some Christian environmentalists, to invoke a model of nature as a harmonious, interconnected, and interdependent community. This "ecological model" as it is often called, resonates more with pre-Darwinian, non- Darwinian, and romantic views of nature than it does with evolutionary accounts. The ecological model, which pervades much of eco-theology, is offered as an alternative to "mechanistic or Newtonian or Cartesian" perspectives that regard nature and animals as mere matter and therefore dualistic, objectifying, and instrumental patterns of thought and behaviour. As a corrective to mechanistic views the ecological model champions the radical rationality and interdependence of all life. Inter-relation in turn implies an ethic of mutuality, care, liberation, and even love for all other beings, human and non- human alike. Eco-theologians discussed here differ in the degree of emphasis they place on each of these ethics (love, liberation, value etc.), but on the whole they assent to the ecological model. Many environmentalists argue that nature presents us with a model and this model has normative import for all our relationship . The concept of natures interdependence –both in terms of genealogical evolutionary interdependence and interdependence in terms of eco-systematic interconnections and interactions – is central to this model . Among Christian environmentalists the ecological ethics that corresponds to this model is understood to be consistent in important ways with Christianity's ethics of love and care for the neighbour – particularly the neighbour who is suffering ,oppressed, and in needs , as our natural neighbours appear to be. Eco-theologians thus claim that they have grounded their ethics in religious teaching as well as scientific knowledge about the natural environment.[2] the great figure and proponent of environmental ethics is "Aldo Leopold's (A Sandy Country Almanac) who influenced deep ecological movements both at the levels of theory and of inspiration. Leopold further calls for a recognition of the obligations which are owed to all members of the bio-tec community (what he calls 'the land ethic' and to the biosphere as an organic whole. Aldo Leopold holds that 'a thing is right when it tends to promote the integrity, stability and beauty of the biotech community. It is wrong when it tends otherwise. This means that we have many obligations to environment for the conservation of biotic community.[3]

Contribution of philosophers towards environmental ethics : The environment has become a significant issue, of timely and timeless, relevant and perennial interest. Philosophers and

religious scholars have thought about the nature for centuries, in ancient Greece, Italy, India or China. These philosophers have made a great contribution in studying and protection of environment. In western countries, following the enlightenment and the scientific causal forces, Values arose only with the interests and preferences of humans, for whom nature was natural resources. The main philosophy of Milesian/Ionic school of Greek philosophy revolves around the fundamental stuff "nature has to be studied according to natural stuff". For four centuries, western philosophy and theology were both dominantly human-centred, anthropocentric. People were all that counted in ethics. the middle of the last century had been predicted as the environmental turn in philosophy. Philosophers had to wake up after earth day was established in 1970 by U.S. Senator Gaylord Nelson. Twenty million people participated in that first earth day; today, over half a billion participate in over 170 countries. Environmental issue, according to Paul Hawken is the " the largest movement in the world" considering the number and force of environmental organizations around the world (Hawken, 2007).[4]

Global warming is the environmental threat of first magnitude that still stares us in the face. Global warming means that earth is warming , that humans primarily are causing that warming through greenhouse gas emissions and deforestation, and that this warming threatens the well being of billions of people today and in the future.[5]

Pollution is the harmful effect to humans and other life forms. It is about any form of matter or energy that has been introduced into the environment. Contamination of air, water, soil by toxic chemicals of industrial origin is perhaps the most familiar example. Anthropogenic pollution had little environmental significance before the development of cities. From very earlier times , however, the concentration in cities of fires for cooking, heating and industry undoubtedly polluted the air locally, and metal smelting introduced toxic chemicals into soil, air and water. More harmful, however, were human and animal wastes that contaminated soil and water and transmitted infectious diseases. In the developed nations during the twentieth century, and especially during the economic expansion following world War II, heavy industry, coal fired power generation, chemical agriculture, above-ground nuclear weapons testing, and petroleum-powered transportation systems became significant sources of pollution. Smog blanketed industrialized cities in Europe and U.S. in December of 1952 the so called Great smog killed thousands in London. The Cuyahoga river in Cleveland, Ohio, was so polluted that in 1969 it caught fired. It was of course an oil slick on the water, not the water, that burned. Modern life is almost everywhere becoming more urban, and cities almost everywhere are becoming crowded with fossil fuel burning vehicles. Thus one might suspect that the worst health effects of modern life come from air pollution. Global statistics, however, reveal a different picture: the chief health threats of modern life come from eating too much of wrong foods and not getting enough exercise.

Climate change is the another devastating problem for human life. Human's emissions of green house gases are changing the words weather patterns and climate by increasing the global average temperature-a phenomenon known as anthropogenic global climate change. Climate change is caused by the build up of green house gases in the atmosphere. Like a blanket, these gases trap heat radiated from the earths surface. The heat comes originally comes from the sun. Without green house gases it would escape in to space. But as green house concentrations increase, the atmosphere traps more heat, and it in turn heats the land and oceans. The temperature mostly increases at higher oceans and it also increases ocean acidity, arctic and Antarctic ice and of glaciers worldwide, rising sea levels, intensified heat waves and droughts, and

increases in extreme weather events. The consequences for humanity already dangerous, are likely to become much worse. According to the IPCC (2007:65), "climate change over the next century is likely to adversely affect hundreds of millions of people through increased coastal flooding, reductions in water supplies, increased malnutrition and increased health impacts". These adverse effects include forced migration, sickness, injury and death. Climate change is also hazards to human beings in the form of flooding, drought, wildfire, insects, ocean acidification and other global change drivers (e.g. land use change, pollution, fragmentation of natural systems, overexploitation of resources). The higher the temperature , the worse the problem "As global average temperature increases exceeds about 3.5 c, model projections suggest significant extinctions (40 to 70% of species assessed) around the globe" (IPCC:54). Climate change will bring more rainfall to some regions, less to others. In many areas global warming is temporarily increasing the flow of rivers by increasing melt rates of glaciers. But as the glaciers disappear over decades or centuries, water flow will ultimately diminish. Inadequate need of water supply, including hunger and thirst, high rates of disease and death, loss of productivity and economical crises, and degraded ecosystems are palpable in global warming.[6]

The future of environmental ethics : Given the increasing concern for the environment and the impact that our actions have upon it, it is clear that the field of environmental ethics is here to stay. However, it is less clear in what way the discipline will move forward. I think that there is an evidence for at least three future developments. First of all, environmental ethics needs to be and will be informed by changes in the political efforts to highlight environmental problems. Environmental ethics concerns formulating our moral obligations regarding the environment. While this enterprise can be, and often is, quite abstract, it is also meant to engage with the real world. After all, ethicists are making claims about how they think the world ought to be. Given this, the effectiveness of states and governments in 'getting there' will affect the types of ethics that emerge. For example, the Kyoto Protocol might be regarded as the first real global attempt to deal with the problem of climate change. However, without the participation of so many large polluters, with the agreed reductions in greenhouse gas emissions so small, and with many countries looking like they may well miss their targets, many commentators already regard it as a failure. Ethicists need to respond not just by castigating those they blame for the failure. Rather they must propose alternative and better means of resolving the problems we face. For example, is it more important to outline a scheme of obligations for individuals rather than states, and go for a bottom-up solution to these problems. It is quite possible then, that we will see business ethics address many of the same issues that environmental ethics has been tackling. However, I do not think that environmental ethics has the potential to inform only business ethics. Rather, and this is my second point, it will undoubtedly feed into and merge with more mainstream ethical thinking. After all, the environment is not something one can remove oneself from. In light of this, once it is recognized that we have environmental obligations, all areas of ethics are affected, including: just war theory, domestic distributive justice, global distributive justice, human rights theory and many others. Take global distributive justice as an example: if one considers how climate change will affect people throughout the world so differently – affecting individuals' homes, sanitation, resistance from disease, ability to earn a living and so on - it is clear that consideration of the environment is essential to such questions of justice. Part of the job of the environmental ethicist will thus be to give such disciplines the benefit of his or her expertise. Finally, environmental ethics will of course be informed by our scientific understanding of the environment. Whether it be changes in our understanding of how ecosystems work, or changes in the evidence concerning the environmental crisis, it is clear that such change

will inform and influence those thinkers writing on our environmental obligations.

Conclusion : Environmental ethics is the area of Applied Ethics, which aims at making the implications of ethical theories in the concrete situations like relationships between nations in the contemporary world, application of ethical theories for actions in environmental ethics, bio-medical ethics, impact on human-nature relationship and in the field of human existence. Applied ethics studies current applied issues or specific problems with the use or application of moral ideas investigated in normative ethics which are datable like environmental ethics. Applied ethics sometimes coincide with the political or social questions i.e. “does cutting of forests for constructing our homes is moral or immoral.

References :

1. Rolston, H. III. (2003). The Blackwell Companion to Philosophy. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing. PP. 517-530
2. Sideris, L. H. (2003). Environmental Ethics Ecological Theology & Natural Selection. New York: Columbia University Press.
3. Attfield, R. (1991). The Ethics of Environmental Concern. 2nd ed. Athens and London: The University of Georgia Press.
4. Sideris, L. H. (2003). Environmental Ethics Ecological Theology & Natural Selection. New York: Columbia University Press.
5. Rolston, H. III. (2012). A new Environmental Ethics: The next Millennium for life on Earth. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
6. Nolt, J. (2005). Environmental Ethics for the long Term: Introduction. New York: Taylor and Francis Group.

संस्कृत महाकावय परंपरा में दलित निरुपण

दौलत राम झारिया, शोधछात्र
संस्कृत, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

''दलित शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य की देन है। संस्कृत के प्राक्तनसाहित्य में कर्म के अनुसार ब्राह्यण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। दलित का तात्पर्य है जिसे दबाया गया हो। सम्पन्न लोगों द्वारा जिनका शोषण किया गया है। ऋग्वैद में विराट पुरुष के अंग विभाजन के रुप में पुरुषसूक्त के एक मंत्र में मुख से ब्राह्यण ज्ञानी भुजाओं से क्षत्रिय 'रक्षक वर्ग', उदर से वैश्य 'व्यापारीवर्ग' तथा पैरों से शूद्र 'सेवक या श्रमिक वर्ग' का वर्णन प्राप्त होता है। सतयुग में कोई जाति नहीं थी मनुष्य की योग्यता के अनुसार उनका वर्गीकरण था। श्रीमदभागवत गीता में भी कहा गया है, चातुर्वण के अनुसार मयासृष्टं गुणकर्म विभागशः। इस प्रकार गुण और कर्म में वर्गीकरण का आधार था। इसलिये प्राक्तन साहित्य में दलित वर्ग के रुप में कोई निरुपण प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार दलित पर काव्यलेखन और विमर्श स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधारणा है। संभवतः इसी आधार पर प्रो. हीरालाल श्शुक्ल ने गुरुघासीदास के चरित वर्णन पर आधारित अपने महाकाव्य का नाम 'दलितोदय' रखा है। प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने भी गुरुघासीदास पर कहाकाव्य लिखा है। यह भी गुरुघासीदास के चरित पर ही आधारित है किंतु इसका नाम सतनामिगौरवम है। प्रायः दोनों महाकाव्यों की कथावस्तु में विशेष अंतर नहीं है। अतः इन दोनों महाकाव्यों में ही दलित वर्णन प्राप्त होता है। यद्यपि पर्याप्त संघर्ष के बाद गुरु घासीदास सम्मानजनक स्थिति में आ गए थे, और उन्होंने वर्ग को एकीकृत कर उन्हें अध्यात्म की और उन्मुख किया है।

प्रायः कुलीन, संद्वश में उत्पन्न क्षत्रिय देवों पर आधारित महाकाव्य रखे जाते रहे हैं। किंतु बीसवी और इक्कीसवी सदी में यह मान्यता निरस्त हो गई। नारी पात्रों को भी प्रमुख पात्र के रुप में प्रस्तुत किया गया, एकलव्य पर आधारित हिंदी में महाकाव्य लिखा गया। इसी काल में डॉ. हीरालाल शुक्ल ने 'दलितोदय' महाकाव्य लिखा और डॉ. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने 'समनामिगौरवम' गुरुघासीदास पर ही आधारित है। दलितोद्धार की भावना का विकास, शासन समाज और साहित्य सभी पर सर्वत्र दिखाई देता है। पौराणिक, रामायण तथा महाभारत की कथाओं पर आधारित महाकाव्यों में उदात्त चरित नायकों को ग्रहण कर महाकाव्य लिखे गये, उसका कारण यह था कि उनके भी दिव्य जीवन से प्रेरणा मिल सके। श्री राम की कथा पर आधारित काव्यों में भी शबरी, भील, निषाद आदि के प्रति संवेदन शीतला का भाव चित्रित है। समाज की व्यवस्था में जो लोकनायक होता था, उसे काव्य में नायक बनाया जाता था। वर्तमान में सभी का लोक में नेता बनने का अधिकार है, अतः काव्य में भी नायक बनना उचित प्रतीत होता है। वस्तुतः गुरु घासीदास सतनामी पंथ के गुरु है और जनता में सत्यनाम का प्रचार और पारस्परिक सदभाव को उत्पन्न किया है अतः उन पर महाकाव्य लिखा जाना आवश्यक ही था। इससे अकिंचन और दलित रुप में जीवन व्यतीत करने वालों मे उत्साह का संचार होगा और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। घासीदास के अन्य भाइयों द्वारा सुख सुविधा की लालच में रिश्वत खीस्त धर्म स्वीकार कर लिया गया, किंतु घासीदास ने कष्ट से जीवन यापन करते हुए उस और आकर्षित नहीं हुए और सतनामी पंथ और सत्य निष्ठा को बढ़ावा दिया।

महाकाव्य का कथन कोई विस्तृत नहीं है, तथापि कवि ने राष्ट संस्कृति की उदभावना की पृष्ठभूमि पर बीस सर्गों में महाकाव्य को लिखने का प्रयास एक प्रसंनीय विषय है। युवावबौध से काव्य समिन्वत हैं। एवं पंक्ति पावन ब्राह्यण एक दलित संत के प्रति परम आस्था रखते हुए उसके चरित को महाकाव्य का नायक बनाकर अमर करने का प्रयास करे, यह भी अपने आप में एक मिशाल है, खासकर ऐसे लोग जो ब्राह्यणों का सीमित दृष्टिकोण का समझते हैं। इसमे कवि का व्यापक दृष्टिकोण अभिव्यज्जिंत होता है।

आज भी छत्तीसगढ़ के अनपढ़ लोग गुरु घासीदास के अनन्य भक्त है। वे इस काव्य को अपने अपने घरो में धार्मिक ग्रंथ के रुप में रखते हैं तथा संस्कृत ज्ञाताओं से इनकी कथा सुनकर आनन्दित होतो है। आप एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक समाज और संस्कृति के अधिकृत विद्वान के रुप में जाने जाते है।

इनके महाकाव्यं वैदिक ऋषियों की यह अवधारणा स्पष्ट रुप परिलक्षित होती है कि अपनी सामूहिक सत्ता को सम्मानपूर्वक बनाये रखने के लिये अपनी धरती और देश की सुरक्षा अनिवार्य रुप से बनाये रखा जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपनी मातृभूमि और देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता तथा मानवता का पावन संदेश संस्कृत साहित्य में निहित है 'वसुधैव कुटुम्बकम' अर्थात विश्वबंधुत्व की भावना को लेकर चलने वाला संस्कृत 'स्व' की संकीर्ण भावना से उपर उठकर अपने युग के प्रत्येक प्राणी के लिए मंगलकामना करता है –

''सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत्
गरूणपुराण।।

वाल्मीकि रामायण के अरण्चयकाण्ड में शबरी की कथा के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भी दलितों का निखरा हुआ रुप प्रतिविम्वित होता है। महाभारत में भी अनेक दलितों के प्रति सदभाव देखने को मिलता है यही भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरुप है।

आधुनिक भारतीय संस्कृत साहित्य किसी न किसी रुप में अपने देशवासियों एवं दलितों के मन की भावना को जाग्रत कर रहा है।

वस्तु–विन्यास :– गुरु घासीदास के चरित और उनके सतनामीपंथ को संस्कृत महाकाव्य के रुप में प्रस्तुत करने से संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में इनकी कथा और उपदेश को स्थान दिलाने में महाकाव्यकार का महत्वपूण योगदान है। प्रायः महाकाव्यों के नायक उच्चवर्ग या देवताओं को रखा जाता रहा हैं किंतु आधुनिक संस्कृत महाकाव्य में नेताओं, संत महात्माओं और विद्वानों को नायक बनाकर महाकाव्य लिखे गये है। उनमें यह महाकाव्य अन्यतम है। डॉ. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी के ''सतनामिगौरवम'' और इस महाकाव्य की विषयवस्तु और शैली एक सी है।

इस महाकाव्य में गुरु घासीदास के जन्म से निर्वाण तक की कथा उपनिबद्ध है। इसमें नायक या प्रतिनायक जैसे पात्र नहीं है। कथा की गति चरित्र नायक गुरु घासीदास के साथ चलती है। एक दलित परिवारिक परिवेश और ग्रामादि की स्थिति का चित्रण किया गया है। दलितों की स्थिति और उससे उपर उठकर गुरु घासीदास की कथा को अत्यंत व्यवस्थित कम में उपनिषद किया गया है। घासीदास गृहस्थ है। उनका परिवार है। उनके भाई ईसाइ धर्म मात्र सुख सुविधा के लिए स्वीकार कर लेते हैं, किंतु घासीदास भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान है। अतः अंग्रेज भी उनकी दिव्य भावना से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक सर्ग के शीर्षक कथा वस्तु को आरेखित करते हैं। नाटय संधियों की दृष्टि से कवि ने कथा वस्तु का विन्यास नहीं किया है तथापि जो जनकल्याण और दलितोंद्धार का बीज नायक के मन में प्रारंभ में दिखाई देता है, वह अंततः फलीभूत होता है। अतः वस्तुविन्यास सर्वथा उचित है। बालचरित प्रायः कवि कल्पित हुआ करता है, तथापि एक संत या गुरु की पृष्ठभूमि के रुप में सुंदर रुप में प्रस्तुत किया गया है। दारिद्रय के निरुपण में दीन दुखियों के प्रति विरेचन पद्धति से संवेदनशील रहने की प्रेरणा दी गई है। कथा यद्यपि ऐतिहासिक है तथापि महाकाव्य की वस्तु के विकास की दृष्टि से निर्गुण उपासना, कबीरपंथानुवर्तन, जगन्नाथपुरी की यात्रा, सतनाम का परिस्फुरण, नायक की छः मास की तपस्या शांति यात्रा सतनाम तत्वोपदेश, अमृतवाणी आदि सर्गों में कथा वस्तु को व्यवस्थित कम में पल्लवित किया गया है, जो एक पथ के प्रवर्तक की दृष्टि से उचित है। कुल मिलाकर वस्तु विन्यास सुंदर है।

डिण्डौरी जनजाति शिक्षा एवं आर्थिक संरचना

प्रदीप कुमार द्विवेदी
शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र)

मध्यप्रदेश का यह आदिवासी जिला डिण्डारी शिक्षा के क्षेत्र में भी अन्य जिलों की अपेक्षा पिछड़ा है क्योंकि इस जिले में दूर दूर तक फैले ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का आभाव है, जिसके कारण इन गांवो में विद्यालय भवन, निर्माण में समस्या उत्पन्न होती है, यही कारण है, कि दूर दराज के गांवों में कहीं विद्यालय की कमी तो कहीं विद्यालय है, तो शिक्षक नहीं जैसी समस्याऐं बनी हुई है, इसके साथ ही यहां पर निवास करने वाली जनजाति परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने बच्चों को पढ़ने लिखाने में असफल हो जात हैं। क्योंकि इन जनजाति परिवार के बच्चे भी अपने भरण – पोषण के लिये परिवार के अनरूप सदस्यों के साथ मजदूरी करने लगते है, इसके साथ ही यहां पर रोजगार के साधनों की समस्या है, जिसके कारण यहां पर निवास करने वाले जनजाति लोग संपूर्ण परिवार सहित प्रवास करत है जहां पर इनको रोजगार प्राप्त होता है, इसका कारण भी इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, परन्तु वर्तमान में सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सहज व सरल व्यवस्था मुहैया कराने से जैसे – आंगनबाड़ी, षिक्षा गारंटी, छात्रवृत्ति येाजना, पुस्तक वितरण, गणवेश आदि की व्यवस्था होने के कारण विद्यालय में अनु.ज.जाति बच्चों की दाखिला मं बढोत्तरी हो रही है, साथ–साथ निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन आदि कानूनों के कारण षिक्षा के क्षेत्र में धीरे – धीरे प्रगति हो रही है। जिला डिण्डौरी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार के विद्यार्थियों की शैक्षिणिक संस्थाओं में संख्या सारिणी के रूप में आगे दिया गया है।

जिला डिण्डौरी जनजाति आर्थिक संरचना

कृषि :–

संपूर्ण जिले के आर्थिक विकास का मुख्या आधार कृषि है, जिला डिण्डौरी की जनसंख्या लगभग 96 प्रतिशत भाग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर आवागमन, सुविधाओं की समस्याओं के कारण व्यवसाय कार्य करना मुश्किल पड़ता है। अतः इन लोगों का मुख्य धंधा खेती करना है, यहां पर की जाने वाली कृशि में आधुनिक तकनीकी उपकरणों, बीजों, खादों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहां पर परंपरागत रूप से खेती की जाती है। खेती में सिंचाई सुविधाओं का पूर्णतः आभाव है, जिसके कारण की जाने वाली कृषि वर्षा पर ही आश्रित रहती है। कृषि कार्य में हल का उपयोग किया जाता है। जिसमें दो बैलों की आवश्यकता पड़ती है, हल लकड़ी की बनी होती है, जो जंगलों से प्राप्त कर लिया जाता है। जिला डिण्डौरी में की जाने वाली कृषि का 75 प्रतिशत भाग उबड़ खाबड़ पथरीला एवं भर्रा है। जिसके कार्य में असुविधा होती है, एवं कृषि का उत्पादन निम्न स्तर का होता है। क्योंकि इस प्रकार की भूमि कम उपजाऊ होती हैं। यहां पर जो खेती की जाती है। उसमें प्रमुख फसलें धान कोदो कुटकी, मक्का , गेहूं, राहर, उडद, ज्वार आदि है। इसके अलावा नगदी फसलों में राई, सरसों, अलसी, रामतिला, और सन प्रमुख हैं। संपूर्ण जिल में पुराने बीजों एवं पुराने ढंग का प्रयोग किया जाता है। यहां पर वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली बीज खाद उपकरणों का प्रयोग नहीं हो रहा है। खेती में खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। जिसके कारण उन्नत कृषि नहीं हो पाती है। इस प्रकार वर्ष भर भरण पोषण कृषि के द्वारा उत्पादन से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जिला डिण्डौरी की जनजाति लोग रोजगार के लिए अन्यत्र जगहों पर जाने लगते है, जहां पर रोजगार प्राप्त हो सके, क्योंकि यहां पर जो कृषि कार्य किया जाता है, उसमें खरीफ फसल का समय जून–जुलाई से अक्टूबर तक हाता है, तथा रबी फसलो का समय नवम्बर से फरवरी मार्च तक होता है।, बाकी समय में लोगों के पास रोजगार का अभाव होता है। अतः यहां से 2 – 3 माह के लिए मौसमी प्रवास करने लगते है।

पशुपालन :–

जिला डिण्डौरी में चूंकि कृशि में परम्परागत रूप से हल, बैल व गोबर खाद का प्रयोग होता है, जिसके कारण पशुपालन का यहां बहुत अधिक महत्व है, यहां पर खेती करने वाले हर कृषक परिवार में पशुपालन होता है, पशुपालन में प्रमुख पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े, भेड़, सुअर आदि हैं। इन पशुओं का उपयोग कृषक बोझा ढोने के लिए भी करते हैं, क्योंकि यहां परिवहन सुविधाओं की समस्या अत्यधिक है। इसके अलावा पशुओं जैसे गाय भैंस से प्राप्त दूध– दही का प्रयोग खाने पीने में एवं विक्रय में भी किया जाता है, गाडर से प्राप्त बालों से कम्बल, गलीचा आदि तैयार किया जाता है, इस पकार जिला डिण्डौरी में अधिकांश समुदाय के लोग कृषि के साथ पशुपालन करते हैं। पशुओं के रखरखाव के लिए अपने घर से नजदीक गौशाला जिसे सार कहते हैं, का निर्माण किया जाता है। जहां पर पशुओं को रखते हैं। इस प्रकार पशुपालन का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों मे ही ज्यादा होता है।

बिड़ी उद्योग :–

जिला डिण्डौरी चूंकि वनों से भरा है, जिसके कारण यहां पर बिडी उद्योग के लिए तेंदुपत्ता आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिले के लगभग सभी ग्रामीण परिवार तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य करते हैं, तेन्दुपत्ता का संग्रहण मई–जून के महिनो में करते है, और महिनों में कृशकों के पास कृशि कार्य भी नहीं होता है, अतः मौसमी धंधा के रूप तेंदुपत्ता संग्रहण बहुतायत किया जाता है, इससे ग्रामीण लोगों काक आमदनी भी प्राप्त हो जाती है, अपनी आवश्यकता के लिए लोग घरों में बिड़ी भी बना लेते हैं, जिससे उनका धन खर्च नहीं हो पाता है।

लुहारी उद्योग :–

यह अगरिया जनजाति का पैतृक उद्योग है, सम्पूर्ण जिले में यत्र – तत्र फैले अगरिया जनजाति इस उद्योग से जुड़े है ये लोग लोहे को गलाकर कृशि में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणो का निर्माण करते हैं, एवं उनका विक्रय भी करते हैं। लोहे से बनने वाले कृषि में उपयोगी वस्तुऐं जैसे– हल के काल, कुदाली, कुल्हाडी, बसूला, बिंधनी, हंसिया, खुरपी, बख्खर, सब्बल, हथौड़ा आदि उपकरणों का निर्माण किया जाता है, खेती के कार्य में उपयोग आने वाले इन उपकरणों के बिगड़ने पर इनका मरम्मत आदि कार्य भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कृशकों के लिए अगरिया जाति के लोग विभिन्न प्रकार के उपकरण तैयार करते है, यही कारण है कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कृशक परिवारों के साथ – साथ अगरिया जाति के लोग भी पाये जाते है।

बांस उद्योग :–

जिले के संपूर्ण क्षेत्र में यत्र – तत्र फैली ढुलिया जनजाति एवं बसोर जाति के लोग के द्वारा बांस से विभिन्न प्रकार की वस्तुऐं बनायी जाती हैं, क्योंकि जिला डिण्डौरी में बांस का उत्पादन बहुत कम होता है। इस प्रकार के छोटे लघु उद्योग जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिये उपयोगी चीजे जैसे – सूपा, टुकना, मोरा, खुमरी, ढूटी, झिटका एवं कुररू प्रमुख रू‍प से उपलब्ध करायी जाती हैं, इस प्रकार के बांस से बनी वस्तुऐं गांवों में बहुत विकय की जाती है, एवं इस प्रकार इन लोगों को एक प्रकार से रोजगार मिल जाता है, बाजार में भी वे वस्तुऐं विक्री हेतु उपलब्ध रहती है।

बांस से विभिन्न प्रकार की वस्तुऐं जैसे 7 मनोरंजन की वस्तुऐं षादी विवाह में जरूरत पड़ने वाली वस्तुऐं, साज – सज्जा की वस्तुऐं भी तैयार किया जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ के लिए आवश्यक वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं, इस प्रकार जिले में निवास करने वाले ढुलिया जाति के लोग इस उद्योग से जुड़े हैं।

पत्थर उत्खनन उद्योग :–

पत्थर उत्खनन उद्योग भी जिले के पत्थर प्राप्त होने वाले क्षेत्रों में स्थापित ह, पत्थर निकालना और फिर फोडने का कार्य भी इस उद्योग में होता है, जिसके लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिले के गरीब जनजातीय लोग इस प्रकार के कार्यों में संलग्न है। प्रायः इस प्रकार के उद्योग में जिले में निवास करने वाले सभी जाति के लोग कार्यों से जुड़े हैं।

पत्थर उत्खन्न उद्योग से पत्थर, गिट्टी आदि प्राप्त होते हैं। जिनसे भवन, सड़क, पुल, नहर, बांध आदि निर्माण किया जाता है, यहां पर निवास करने वाले जनजाति लोग इस कार्य में कुशल होते हैं तथा अन्यत्र जाकर भी इस प्रकार के उद्योगों से जुड़े हैं, आधुनिक समय में सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों में पत्थर उत्खन्न उद्योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिले के सुदूर जंगलों क्षेत्रों में जहां पर पत्थरों की परत पायी जाती है, इस उद्योग का विस्तार है, इस प्रकार अधिकांश जनजाति मजदूर इस कार्य से जुड़े है।

वनोपज से संबंधित कार्य :–

वनों से मिलने वाले– लाख, गोंद, चिरौंजी, बीज, हर्रा, साल, आंवला आदि का संग्रहण करना जनजाति लोगों की पैतृक व्यवसाय है। वनों से मिलने वाले संसाधनों का एकत्र कर उनका विक्रय करना एवं वनों से प्राप्त होने वाली औशधियो का धंधा करना यहां पर निवास करने वाली बैगा जनजातियों के लिए आसान होता है, क्योंकि ये लोग जंगली क्षेत्र में अपने आवास बनाते है। जिसके कारण वे जंगलों से मिलने संसाधनों से भलि–भांति परिचित है, बजाग विकासखंड में बसे बैगा जनजाति के लोग इस कार्य में और भी निपुण हैं, इस क्षेत्र को बैगाचक के नाम से भी जाना जाता है। इस बैगाचक क्षेत्र मे बैगा जनजाति वनों से औशधि, कंदमूल, फल आदि प्राप्त करके इसका व्यापार भी करते हैं। जो मध्यप्रदेश ही नहीं पूरा भारत देश भी इन जड़ी बूटियों का विकय किया जाता है। इस प्रकार के कार्यों में अधिकतर गोंड़ बैगा एवं बहेलिया जनजाति के लोग जुड़े हैं।

सम्पूर्ण जिले में फैले जनजाति परिवार के लोग इस प्रकार के उद्योगों से जुड़े है। लाख, कीटपालन भी यहां किया जाता है, इसके अलावा जंगलों से लकड़ी प्राप्त कर विक्रय भी आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के उद्योग अस्थायी एवं मौसमी होते हैं। अतः जिला डिण्डौरी के सम्पूर्ण क्षेत्र में इस कार्य को किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सी. आर. कोठारी, शोध विधि, विली ईस्टर्न लिमि., 1986.

2. सिंह रामराज – 'भारत की जनजातियाँ'; 1956, साहित्य भवन, भोपाल.

3. दास ए.एस. – 'मध्यप्रदेश की आदिवासी योजना'; 22 अक्टूबर 1975, भारत सरकार, पृ.क्र 11.

4. प्रसाद ए.जी. – 'विशेष विकास प्रोजेक्ट की योजना व उपजाति या जनजातीय क्षेत्रों में योजना का अध्ययन', 1978, पृ.क्र. 252.

5. श्रीवास्तव एण्ड सी.बी. सिंह – 'कृषि विकास एवं जनजातीय जनसंख्या'; 1970, पृ.क्र. 161, जनजातीय क्षेत्रों में कृषि विकास; 1970, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान; नई दिल्ली–12.

6. सिंह आई.पी. – 'जनजातीय क्षेत्रों में कृषि विकास'; वर्ष 1970, पृ.क्र. 167, अनुसंधान आदिवासी आर्थिक विभाग ग्रामीण सर्वेक्षण अनुभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया; मुम्बई.

नरसिंहपुर जिले में जैविक गुड का उत्पादन

अभय घोड़के
सहायक प्राध्यापक, एस.एस.एन.एम.आई.एम.टी. कॉलेज, नरसिंहपुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के मध्य भाग में नरसिंहपुर जिला स्थित है। जिला और मुख्यालय दोनो का नाम नरसिंहपुर है। जो जाट जाति के सरदारों द्वारा निर्मित विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह के मंदिर कारण पड़ा। म.प्र राज्य में गन्ने की खेती नरसिंहपुर जिले में सर्वाधिक होती है। यह जिला पुण्य सलिला माँ नर्मदा के तट पर 5133 वर्ग कि. मी. में फैला है। नर्मदा नदी नरसिंहपुर जिले को दो भागों में बाँटती है। इसलिए नर्मदा का मैदान होने से यह जिला सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कलमेटाहार के लिए एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गन्ने के उत्पादन में नरसिंहपुर जिले का म.प्र. में प्रथम स्थान है। प्रतिवर्ष गन्ने का उत्पादन बढ रहा है। गन्ना एक नगद फसल हैं। वर्तमान समय में यहाँ के निवासियों द्वारा गन्ने की फसल सर्वाधिक रूप से उत्पादित की जाती है। नरसिंहपुर जिले में गन्ने की विभिन्न वर्षों की उपज दर को हम निम्न तालिका के माध्यम से समझ सकतें हैं।

नरसिंहपुर जिलें में गन्ने उपज दर विकासखण्ड के अनुसार

वर्ष 2008–09 से 2015–16 में हैक्टेयर में

विकास खण्ड	वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
नरसिंहपुर	4939	4378	2291	6113	6295	7915	9800	12550
करेली	4750	4778	3110	5028	5048	6199	8400	9200
गोंटेगाँव	3080	3581	2168	5347	5079	6980	10400	12200
चांवरपाठा	4625	4405	3110	5995	5990	8605	11200	10430
सांईखेड़ा	2403	2594	2455	3738	1564	4890	8100	7800
चीचली	4174	2356	941	7212	5065	8810	12000	13000
योग	23971	22092	214075	33433	29041	43399	59900	65180

स्रोत – उपसंचालक कृषि नरसिंहपुर

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2008–09 में जिले में गन्ने की उपज दर 23971 हैक्टेयर थी जिले के किसानों का गन्ने की खेती पर रूझान हाने के कारण प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। सत्र 2012–13 में 214075 आँकी गई, एवं 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 59900, 65180 हो गई।

गन्ने के मुख्य उत्पाद शक्कर एवं गुड़ ह परन्तु गन्ने का रस निकालने के पश्चात गन्ने के सहउत्पाद जैसे खोई, प्रेसमेड, अगोला आदि है। नरसिंहपुर जिले में गन्ने की खेती जैविक रूप से की जा रही है।

यह जैविक कृषि क्या है? सर्वप्रथम इसे समझना होगा। देश में आजादी के पूर्व जैविक खेती होती थी। आजादी के वाद हरित क्रान्ति की शूरूआत हुई तब से लगातार रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग से फसल उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। जिसके कारण भूमि की संरचना/उर्वरक का संरक्षण किये बगैर अन्धाधुन रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करते रहे तो हरियाली का यह बसंत रेगिस्तान में बदल जायेगा। तो ऐस समय कृषक किस खेती का चुनाव करें। संतुलित फसल उत्पादन के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जबकि रासायनिक उवरकों से सिर्फ 3 तरह के पोषक तत्व (नाईट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटाश) की ही

पूर्ति होती है। शेष 13 पोषक तत्व की आपूर्ति नही होती तो ऐसी भूमि से निकलने वाला खोखला अनाज हमारे स्वास्थ्य पर कड़ा असर करेगा।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि कार्यो के लिए वृक्ष व जंगलों के लिए चरग्राही के लिए तथा अन्य कार्यो के लिए प्रकृति द्वारा भूमि के उपयोग का एक निश्चित प्रतिशत तय हुआ है यदि प्रकृति द्वारा निश्चित भूमि में ही कृषि कार्य करते जाए तो भी मनुष्यों के उपयोग के बाद काफी खाद्यान्न बच सकता है।

मृदा परीक्षणों से यह पता चलता है कि कृषि भूमि में ह्यूमस व नाइट्रोजन की अत्याधिक कमी हुई है। बाजार से उर्वरक लाकर नाइट्रोजन की कमी को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाता है लेकिन ह्यूमस की कमी को पूरा करने के लिए गोबर या कम्पोस्ट खाद बनाकर खेतों में देना जरूरी नही समझा जाता है।

देश–विदेश के वैज्ञानिकों ने इन दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों पर काफी शीघ्र करके ऐसे जीवाणुओं का पता लगाया है जिनकी कुछ जातियॉ भूमि में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध करा देती है।

गोबर या कम्पोस्ट खाद का कोई विकल्प नही है गोबर या कम्पोस्ट खाद के उपयोग से मृदा की उर्वरता एवं संरचना कायम रखने के लिए समस्त प्रकार के पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जातो है। इस खाद का उपयोग करते रहने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को काफी कम किया जा सकता है। इस खाद को जैविक/कार्बनिक खाद भी कहते है। इस खाद में सभी तरह के पोषक तत्व अधिक या सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः खाद में पोषक तत्वों को न्यूनता एवं कार्बनिक पदार्थो की ही अधिकता होती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के बढ़ने से सूक्ष्मजीवियों की संख्या बढ़ जाती है एवं ये सूक्ष्मजीवी मृदा में उपस्थित विषैले पदार्थों का खण्डन करके उन्हें निष्क्रिय करते है तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। खाद के उपयोग से मृदा में वायु संचार एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। खाद का अधिक प्रयोग कर लेने पर भी मृदा या पेड़ पौधे पर कोई हानिकारक प्रभाव नही पड़ता है।

पशुओं के भोजन का पूर्णतः या आंशिक पचा हुआ भाग, जो पशुओं द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। गोबर कहलाता है। गोबर खाद में केवल गाय के गोबर को ही नही, बल्कि भैंस, मुर्गी, घोड़ा आदि पशुओं की मींगनी, बोट को भी सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न पशुओं के गोबर में पाये जाने वाले पोषक तत्व अग्र प्रकार होते है।

पशु	कार्बनिक पदार्थ	नाईट्रोजन	फास्फोरस	पोटास
मुर्गी	30%	1.47%	1.15%	0.7%
भेड़	33%	0.7%	0.5%	0.5%
गाय	15%	0.5%	0.18%	0.18%
भैंस	13%	0.3%	0.18%	0.17%
घोड़ा	21%	0.5%	0.3%	0.3%

इसके अतिरिक्त पशुओं के मूत्र को भी गोबर खाद में सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः मूत्र में 95 प्रतिशत जल तथा शेष विलेय पदार्थ होते है। मूत्र में पाया जाने वाला अधिकांश नाईटोजन यूरिया के रूप में होता है। गोबर की भांति प्राणियों के मूत्र पदार्थ के सूत्र में भी कार्बनिक पदार्थ नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश उपस्थित होते है।

गोबर खाद में उपस्थित पोषक तत्व पौधे के लिए धीरे–धीरे विमुक्त होते है। इस कारण खेतों में गोबर खाद का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। यह खाद मृदा में विनिमेय कैल्शियम बनता है जो मृदा की भौतिक देश को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खेतों में गोबर खाद का उपयोग करने पर पानी धीरे–धीरे छूटता है जिससे पौधे लंबे समय तक लाभान्वित होते रहते है। गोबर खाद से मृदा में सूक्ष्मजीवियों की सकियता बढ़ जाती है जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और ह्यूमस के कारण रेतीली मृदाओं में जल धारण क्षमता का सुधार होता है तथा चिकनी मृदाओं को स्पंजी बनाता है।

गन्ना उत्पादन के मामले में प्रदेश में प्रथम होने का गौरव प्राप्त इस पूरे जिले में गुड़ बनाया जाता है पर करेली और गाडरवारा में गुड़ का उत्पादन ज्यादा होता है। करेली के लगभग हर गाँव में गुड़ की भट्टियाँ यानी गुड़ इकाईयाँ देखने को मिलती हैं।करली ब्लॉक केकोदसा गाँव में करीब 100 गुड़ इकाईयाँ संचालित हैं। गाँव में जहाँ नजर डाली वहाँ गुड़ बनता नजर आता है और हर तरफ हवा में फैली इसकी मीठी–मीठी खुशबू मदमस्त करती है। इसके अलावा करेली के गोंगावली गाँव में भी बड़ी संख्या में गुड़ भट्टियाँ चल रही हैं। इस क्षेत्र में गुड़ उत्पादन की बेहतर स्थिति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 100 मीटर पर एक भट्टी नजर आती हैं।

मध्य प्रदेश में करेली मंडी गुड़ की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। अकेले इस मंडी क्षेत्र में 7 से 8 लाख क्विंटल प्रतिवर्ष गुड़ का उत्पादन किया जाता है। जिले में बनाए जाने वाले कुल गुड़ का करीब 55 प्रतिशत उत्पादन करेली में होता है। इसलिए करेली को गुड़हब का दर्जा दिया गया है। यहाँ का गुड़ बिना केमिकल के उगाए गए गन्ना और बिना केमिकल के तैयार किए गए गुड़ की जैविक गुड़ की श्रेणी में रखा जाता है। पिछले साल यहाँ से 200 क्विंटल गुड़ खाड़ी देशों को निर्यात किया गया था। जैविक गुड़ का रेट भी 60 से 55 रूपए प्रति किलो था। करेली के गुड़ की शुद्धता और स्वाद की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध है।

गुड़ उत्पादन में नरसिंहपुर जिला मात्रा के रूप में ही नहीं पहचाना जाता बल्कि सर्वश्रेठ गुणवत्ता के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। यहाँ का गुड़ विदेशों में भी निर्यात किया जाता है जो गुड़ विदेशों में निर्यात किया जा रहा है वह जैविक गुड़ है। नरसिंहपुर जिलेमें अब जैविक गुड़ का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। कुछ किसानों द्वारा प्राकृतिक गुड़ ब्रांड के नाम से जैविक गुड़ तैयार किया जा रहा है। जो पूरे देश में दुगने–तिगुने दाम पर बिक रहा है तथा जैविक गुड़ निर्यात होने से किसानों को पाँच गुने तक दाम प्राप्त होंगे, और उनकी माली हालत में जोरदार सुधार आएगा। जैविक गुड़ बनाने के लिए गन्ने की फसल उगाने के लिए बिजाई से लेकर कटाई तक किसी भी तरह के रसायन का उपयोग वर्जित है। यहाँ तक सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले पानी में भी किसी भी तरह का रसायन नहीं मिला होना चाहिए तथा आजू–बाजू यदि किसी खेत में रासायनिक खाद या अन्य किसी रसायन का उपयोग किया जाता है तब भी आपत्तिजनक मान लिया जाता है। जिले के किसान जैविक फसल तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं। विभाग की ओर से उन्हें हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी 150 कृषकों का एक समूह जैविक गुड़ खेतों एवं गुड़ निर्माण की दिशा में प्रयासरत हैं। निम्न तालिका में साधारण गुड़ के निर्माण से किसानो को होने वाले लाभ प्राप्ति की जानकारी को दर्शाया गया है।

गुड़ की लागत का विश्लेषण

क्रमांक	व्यय के प्रकार	दर	लागत रूपयों में
1.	गन्ने की लागत	2500 रू प्रति किलोग्राम	20000
2.	श्रमिक की लागत	400 प्रति व्यक्ति अधिकतम 10 श्रमिक	4000
3.	यातायात एवं पैकिंग लागत	—	2000
कुल व्यय			26000

स्रोत :— व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

गुड़ का औसत बाजार मूल्य 2900 × 1.2 क्विंटल = 34800

कार्यशील दिन 25 दिन

लाभ= कुल आय — कुल व्यय

8800 प्रतिदिन = 34800 — 26000

1 माह की आय = 220000

Efficiency ratio (ER) =कुल आय / कुल व्यय

$$\frac{34800}{26000} = 1.33$$

लाभदायकता अनुपात = लाभ / कुल व्यय

$$\frac{8800}{26000} = 0.33$$

गुड़ विश्लेषण सारणी

विवरण	रकम
कुल व्यय	26000
कुल आय	34800
लाभ	8800
Efficiency ratio	1.33
लाभदायकता अनुपात	0.338

उपरोक्त सारणी के अनुसार गुड़ बनाने की लागत 26000 रूपये आय 34800 जिसके द्वारा 8800 रूपये प्रतिदिन लाभ होता है। जिससे लाभदायकता अनुपात 0.338 होता है। यदि

साधारण गुड़ से किसानों को इतना लाभ होता है। जैविक गुड़ का निर्माण करने से कितना लाभ होगा? जिससे किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा में परिवर्तन आऐगा।

गुड़ उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को सेमिनार एवं प्रशिक्षण के माध्यम स प्रशिक्षत किया जाना चाहिए तथा आर्थिक योजनाओं को न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध करना चाहिए इसके साथ ही शासकीय स्तर पर बीज प्रंसकरण के माध्यम से गन्ना उत्पादन बढ़ेगा। तब गुड़ मिलों के माध्यम से गुड़ उत्पादन भी स्वाभाविक बढ़ेगा। उत्पादित माल को ठीक मूल्य पर क्रय करन के लिए भी सरकार के द्वारा अन्य कृषि उत्पादों की भाँति प्रतिवर्ष न्यूनतम मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए गन्ना फसलों के रखरखाव एवं रोगों के बचाव हेतु नवीनतम शोधों की जानकारी किसानों को मिलनी चाहिए। अच्छे किस्म का गुड़ का उत्पादन मूल्य सरकार के संरक्षण में किसानों को मिलने से उत्तम किस्म के गुण निर्माण की ओर कृषक प्रवृत होंगे। गन्ने के लिए उपयुक्त खेत जिसमें ऐसी मिट्टी का प्रयोग सरल रूप में बताया जाए जिससे किसान अपनी फसल को बढ़ाने के लिए सरलता से प्रयोग कर सकें और जब गन्ना फसल की अधिकता होगी तब गुड़ उत्पादन की मात्रा भी स्वभाविक रूप से बढ़ेगी।

मध्यप्रदेश में सामाजिक पर्यटन की समस्यायें

डॉ. श्रीमती अर्चना शुक्ला
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

पर्यटन मानव की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। सरकार पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किये जा रहे हैं कि पर्यटन की सुविधा सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके। मध्यप्रदेश सरकार ने भी राष्ट्रीय योजनाओं के अतिरिक्त प्रादेशिक स्तर पर सामाजिक पर्यटन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं प्रारंभ की। इनमें से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, बैड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना तथा ग्रामीण पर्यटन हेतु योजनाएं प्रमुख हैं। शोधार्थी ने दो प्रश्नावलियाँ निर्मित कर 100 एल0टी0सी0/एल0एफ0सी0 योजना स लाभान्वित व्यक्तियों एवं 75 मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा पर गये व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया एवं कुछ हज यात्रा एवं अमरनाथ यात्रा को गये व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों, बेवसाइट तथा अन्य साहित्य का सर्वेक्षण एवं अध्ययन के पश्चात् शोधार्थी ने कई समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। सामाजिक पर्यटन से सम्बन्धित मुख्य समस्यायें निम्न हैं

एल0टी0सी0 यात्रा में धोखाधड़ी –

एल0टी0सी0 योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को केवल एयर इण्डिया के टिकिट एवं बोर्डिंग पास के द्वारा यात्रा करने की अनुमति प्राप्त है। मार्च 2013 में कोलकाता पुलिस ने एक एल0टी0सी0 घोटाले का पर्दाफाश किया जब उसने कोलकाता एयरपोर्ट पर 600 से अधिक कोरे बोर्डिंग पास सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वह व्यक्ति स्पाइस जेट के विमान से पोर्टब्लेयर जा रहा था, जहां उसे ये बोर्डिंग पास अन्य व्यक्ति को देने थे। एयर इण्डिया की सतर्कता शाखा ने पाया कि सरकारी अधिकारी इन बोर्डिंग पास को एल0टी0सी0 भुगतान के लिए दुरूपयोग करते थे। इनमें किराये की राशि को बढ़ा लेते थे। राज्यसभा सचिवालय ने भी एयर इण्डिया से सात टिकिट, जिसमें प्रत्येक का मूल्य 1,35,000/– रूपये था, जॉच करने को कहा। जॉच में पाया गया कि सभी टिकिट जाली थे तथा पोर्टब्लेयर के लिए बिजनेस क्लास के थे, जबकि उन उड़ानों में बिजनेस क्लास था ही नहीं।[1]

एयर इण्डिया ने एक अन्य जॉच जबलपुर के आयुध कारखाने की मांग पर की है। जिसमें इस कारखाने के 400 कर्मचारियों ने 2006 से 2008 के मध्य उत्तर–पूर्वी राज्यों में एल0टी0सी0 के अंतर्गत यात्रा की। जबलपुर के कर्मचारियों के एयर टिकिट का मूल्य 2 लाख 11 हजार रूपये था जो कि धोखाधड़ी लगता है। यह टिकिट नकली पाये गये व यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनमें से कितने टिकिटों पर यात्रियों ने वास्तव में यात्रा की। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक विशेष आदेश के द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आदेश दिया था, कि सबसे छोटे श्रेणी के सरकारी कर्मचारी भी उत्तर पूर्व क्षेत्रों में हवाई यात्रा कर सकते हैं एवं उसके किराये एल0टी0सी0 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति ले सकते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा का कर्मचारी दुरूपयोग कर रहे हैं। इस धोखाधड़ी में कई ट्रेवल एजेन्ट एवं कई लेखाधिकारी के सम्मिलित होने की भी सम्भावना है।[2]

LTC/LFC के लिए वांछित अवकाश स्वीकृत न होना –

कई बैंककर्मी एवं सरकारी कर्मचारियों को पात्रता अनुसार इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, परन्तु इसके लिए उन्हें अवकाश नहीं मिल पाता है। सर्वेक्षित कर्मचारियों में से लगभग 66 प्रतिशत कर्मचारियों को एल0टी0सी0 सुविधा हेतु वांछित अवकाश नहीं मिल पाया। इसका एक कारण यह भी है कि कई कर्मचारी एक ही समय में यात्रा पर जाने की इच्छा दर्शाते हैं। सर्वेक्षण से

ज्ञात हुआ कि लगभग 63 कर्मचारी उसी समय एल0टी0सी0 पर जाना चाहते थे, जब कार्यालय के अन्य कर्मचारी जाने के इच्छुक थे। इसलिए कुछ कर्मचारियों को समझौता करना पड़ा एवं उन्हें कार्यालय द्वारा अन्य समय अवकाश लेने के लिए बाध्य किया गया।

LTC/LFC के लिये ली गई अग्रिम धनराशि के समायोजन में विलम्ब –

कई कर्मचारी LTC/LFC जाने के पूर्व कार्यालय से अग्रिम ले लेते हैं ,परन्तु इस अग्रिम का भुगतान पत्रक के आधार पर समायोजन शीघ्र नहीं हो पाता है। सर्वेक्षित कर्मचारियों में केवल आठ कर्मचारियों की अग्रिम राशि का तीन से कम दिन में समायोजन हुआ। 7 से 10 दिवस के अन्दर 60 कर्मचारियों का अग्रिम समायोजित हो पाया। जबकि 12 कर्मचारियों की अग्रिम राशि 10 से अधिक दिवस में समायोजित हुई। समायोजन के विलम्ब से बैंक को ब्याज का नुकसान होता है। अन्य लेखा पत्रक जैसे यात्रा देयक का भुगतान एक दिन में हो जाता है तो LTC/LFC के बिल विलम्ब से क्यों भुगतान किये जाते हैं?

कर्मचारियों की LTC/LFC सुविधा से असंतुष्टता –

LTC/LFC सुविधा के अंतर्गत किराया भत्ता, अवकाशगृह में ठहरने की व्यवस्था एवं वहां पर भोजन की व्यवस्था कर्मचारियों को दी जाती है। परन्तु कुछ कर्मचारी इन सुविधाओं से असंतुष्ट व कुछ बहुत असंतुष्ट रहते हैं। सर्वेक्षित कर्मचारियों में आठ कर्मचारी ठहरने की व्यवस्था से एवं सात कर्मचारी भोजन की व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट रहे। इन सुविधाओं से असंतुष्ट रहने वाले कर्मचारियो की संख्या क्रमशः 22 एवं 12 थी।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का प्रचार–प्रसार कम होना –

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के बारे में कम लोगों को जानकारी है। सर्वेक्षित यात्रियों से ज्ञात हुआ कि केवल 20 प्रतिशत यात्रियों को यात्रा की जानकारी अखबार व दूरदर्शन से प्राप्त हुई। लगभग 30 प्रतिशत यात्रियों को पूर्व में यात्रा कर चुके लोगों से तथा 20 प्रतिशत यात्रियों को मित्रों एवं रिश्तेदारों से यात्रा के सम्बन्ध में पता चला। 9 प्रतिशत यात्रियों को ट्रेवल एजेन्ट के द्वारा इस प्रकार की यात्राओं की जानकारी प्राप्त हुई। उचित प्रचार व प्रसार न होने से सभी सम्भावित यात्रियों को इसका लाभ पाप्त नहीं हो सका।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में प्रदेश में कई जिलों की अनदेखी –

मध्यप्रदेश में तीर्थदर्शन योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। इस यात्रा में गाड़ियों का प्रारम्भ अलग–अलग स्थलों से किया जाता है। प्रदेश सरकार यात्रा के कार्यक्रम की सूची काफी पहले ही घोषित कर देती है। इस यात्रा के लिए 2012 में केवल 38 जिलों के वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित थे। अन्य जिलों के नागरिकों को इस यात्रा के लिए तब तक इन्तजार करना पड़ा, जब तक उनके जिले भी इस यात्रा के लिए घोषित नहीं हो जाते।[3] ग्वालियर एवं चम्बल संभाग क अशोकनगर व गुना के वरिष्ठ नागरिक इसमें सम्मिलित किये गये अन्य जिले जिसमें भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर के नाम इसमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में नाम, पता बदलकर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा यात्रा करना –

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में ग्वालियर से जाने वाली कुछ यात्रायें ठीक से चलीं। परन्तु इसके पश्चात् इसमें कई समस्यायें आने लगी। 27 अगस्त, 2013 को पुरी जाने वाली यात्रा के लिए जब आवेदकों के फार्म की जॉंच की गई तब 60 नाम ऐसे पाये गये जो पहले यात्रा कर चुके थे। इसी प्रकार 9 जून से 14 जुलाई के मध्य तीन यात्राएं वैष्णोदवी, द्वारका व रामेश्वरम के लिए की गई। ग्वालियर तहसील में जमा आवेदनों की जॉंच करने पर वैष्णोदेवी यात्रा के 67, द्वारका के 245 तथा रामेश्वरम यात्रा के लिये जमा 155 फार्म निरस्त कर दिये गये। इनमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक तीन बार तक यात्रा कर चुके थे।[4] ऐसे भी वरिष्ठ नागरिकों की जानकारी प्राप्त हुई जो अपना नाम व पता बदलकर यात्रा हेतु चयन का प्रयास करते हैं।

तीर्थदर्शन योजना में यात्रियों के अन्तिम चयन में भ्रष्टाचार –

कुछ यात्रियों ने अधिकारियों को शिकायत की कि वरिष्ठ नागरिको को यात्रा में भेजने पर अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। कुछ अधिकारी अपने परिचितों एवं अन्य प्रकार से प्रभावशील व्यक्तियों को यात्रा की रवानगी के समय स्टेशन पर बुला लेते हैं एवं उन व्यक्तियों को यात्रा पर न आने वाले चयनित आवेदकों के स्थान पर भेज देते हैं। जबकि इस परिस्थिति में उन्हें प्रतीक्षा सूची में दिये गये व्यक्तियों को ही यात्रा में भेजना चाहिए।[5] कई व्यक्ति अनेक बार यात्रा में चयनित हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति कई बार आवेदन करने पर भी चयनित नहीं होते।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना क चयन की जानकारी विलम्ब से मिली –

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में जाने के लिए यात्रियों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है व इसके बाद लॉटरी के द्वारा इसका चयन होता है। यात्रियों को इस चयन की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं होती, तैयारी के लिए कम समय होने के कारण कई यात्री यात्रा पर नहीं जा पाते। सर्वेक्षित यात्रियों मे 18 यात्रियों को यात्रा प्रारम्भ होने के 8 से कम दिन के अन्दर चयन की जानकारी मिलती है। 38 यात्रियों को यह जानकारी 8 से 15 दिवस के अन्दर ही प्राप्त होती है।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के यात्रा संबधित दिशा–निर्देशों की जानकारो का अभाव –

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में सरकार द्वारा बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं, परन्तु यात्रियों के बहुत से उत्तरदायित्व हैं। यात्रियों को यात्रा के लिए कई दिशा–निर्देश दिये जाते हैं। इन निर्देशों में यात्रा स्थल की जानकारी, यात्रा के दौरान निषेधित काय एवं अन्य नियम रहते हैं। सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि लगभग 21 प्रतिशत यात्रियों को इन दिशा–निर्देशों की जानकारी नहीं थी। लगभग 41 प्रतिशत यात्रियो को दिशा–निर्देश समझने में कठिनाई का अनुभव हुआ।

यात्रियों को तीर्थस्थलों पर भ्रमण के लिए पर्याप्त समय न मिलना –

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में सभी वरिष्ठ नागरिकजन यात्रा करते हैं उनकी शारीरिक क्षमता भी भिन्न–भिन्न होती है, साथ ही उनकी पसन्द भी अलग–अलग होती है। किसी यात्री को एक स्थान पर अधिक आनन्द प्राप्त होता है जबकि दूसरे को अन्य स्थान पर। तीर्थ यात्रा के समय पर्यटक स्थल पर सभी यात्रियों को रूकने के लिए समान समय दिया जाता है, परन्तु शारीरिक क्षमता व पसन्द के कारण कुछ यात्री किसी विशेष स्थल पर अधिक समय व्यतीत करना चाहते है, जो सम्भव नहीं होता। सर्वेक्षित यात्रियों में से 30 प्रतिशत यात्रियों ने बताया कि उन्हें भ्रमण हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया जाता।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में अन्य धर्म के यात्रियों को भी यात्रा में जाने की अनुमति –

यह सम्पूर्ण योजना तीर्थदर्शन योजना है। जिससे यात्री की धार्मिक भावना होना आवश्यक है, परन्तु किसी धर्म विशेष के तीर्थस्थल पर अन्य धर्म के यात्रियों का जाना प्रतिबंधित नहीं है। इस कारण कई धर्म स्थलों पर अन्य धर्म के लोग मुफ्त सुविधाओं के कारण चले जाते हैं, जबकि उनकी भावना तीर्थयात्री की नहीं होती। उन यात्रियों का मुख्य उद्देश्य मुफ्त में पर्यटन करना होता है। सर्वेक्षित यात्रियों में लगभग 33 प्रतिशत यात्री अन्य धर्मों के थे, जो यात्रा पर गये। लगभग 14 प्रतिशत यात्रियों ने यात्रा पर जाकर भी उस धार्मिक स्थल के दर्शन नहीं किये एवं उन्होंने केवल उस शहर के पर्यटक स्थल देखे।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के यात्रियों के संतुष्टि का स्तर कम है –

मध्यप्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में यात्रियों को यात्रा, ठहरने की व्यवस्था, भोजन व नाश्ता, चिकित्सा एवं मार्गदर्शन आदि सुविधायें प्राप्त होती है। ठहरने की व्यवस्था से लगभग 18 प्रतिशत यात्री असंतुष्ट थे, 12 यात्री बहुत असंतष्ट थे। इसी प्रकार भोजन व नाश्ते की सुविधा से 25 यात्री असंतुष्ट व 10 बहुत असंतुष्ट थे। चिकित्सा सुविधा एवं मार्गदर्शक से असंतुष्ट यात्रियों की संख्या क्रमशः

10 तथा 17 थी। समग्र रूप से कई यात्रियों ने यात्रा के सम्बन्ध में संचालन एवं अन्य क्षेत्रों में संतुष्टि का स्तर कम बताया है।

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में अवैध वसूली –

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार अमरनाथ जाने के इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन बैंक के माध्यम से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने के बाद कुछ धार्मिक संगठन एव अन्य व्यक्ति निर्धारित से अधिक राशि लेकर यात्रियों को पंजीयन फार्म उपलब्ध कराने का आश्वासन देते है।[6] वैधानिक कठिनाईयों से बचने के लिए वे इस राशि को अपने संगठन को दिये गये दान के रूप में दर्शाते हैं, कई बार अधिकारियों ने पंजीयन के नकली कार्ड यात्रियो के पास पाये।

आदिवासी संगठनों द्वारा आदिवासियों से संबंधित पर्यटन विभाग के उत्सवों का विरोध –

आदिवासी बहुउद्देशीय कल्याण समिति एवं कई अन्य आदिवासी संगठनों ने राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आदिवासियों से संबंधित भ्रमपूर्ण जानकारी देने का आरोप लगाया है। इस संगठन के अनुसार मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ''भील'' तथा ''भीलालास'' जनजातियों के ''भागोरिया हाठ'' उत्सव में जनजातियों के संबंधित गलत जानकारी दी गई। उनके अनुसार पर्यटन विभाग ने इस उत्सव को आदिवासिया के विवाह का उत्सव बताया है, जिसमें दुल्हा–दुल्हन भागकर परम्परा के अनुसार शादी करते हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों जिसमें आदिवासी युवा विकास समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास संगठन के अनुसार यह उत्सव स्वयंवर का स्वरूप नहीं होता है, बल्कि होलिका दहन के एक सप्ताह के पूर्व प्रारंभ होता है। परम्परा के अनुसार होली के आस–पास विवाह वर्जित होते हैं, अतः पर्यटन विभाग द्वारा दी गई जानकारी गलत है।[7] इसलिए इन संगठनों ने आदिवासियों से संबधित दी गई जानकारी में सुधार हेतु सरकार से मांग की है।

ग्रामीण पर्यटन से पयावरणीय एवं सांस्कृतिक प्रदूषण –

मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है जिसमें आदिवासियों की रहन–सहन एवं परम्परायें पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं। आदिवासी प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हैं। पर्यटकों के बहुतायत आगमन से बहुत से वाहन उन क्षेत्रों में जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। उस स्थान पर विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट भी वहां फेकें जाते हैं जिससे वहां का प्राकृतिक वातावरण प्रदूषित होता है। पर्यटक उन सुदूर क्षेत्रों में अपनी आधुनिक संस्कृति ल जाते हैं जो ग्रामीणों एवं आदिवासियों की संस्कृति पर विपरीत प्रभाव डालती है एवं सांस्कृतिक प्रदूषण भी वहां व्याप्त होता है। कई बार पर्यटक स्थल के स्थानीय निवासी इस बात से परेशान होते हैं कि पर्यटकों के आगमन से कई संसाधन जैसे बिजली, जल आदि की कमो हो जाती है। ''अतिथि देवो भवः'' के अंतर्गत पर्यटकों को तो सुविधाएं मिलती है परन्तु स्थानीय नागरिक इससे वंचित रह जाते हैं।

बैड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना में नागरिकों एवं पर्यटकों की कम रूचि –

मध्यप्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा ''बेड एवं ब्रेकफास्ट'' योजना इसलिए प्रारंभ की गई थी, कि पर्यटक पर्यटक स्थलों पर स्थानीय नागरिकों के साथ रहकर उनकी सभ्यता एवं उनकी परम्पराओं एवं स्थानीय भोजन के बारे में जान सके। 2010 में प्रारंभ होने के बाद भी बहुत कम लोगों ने अपने आवास पंजीकृत कराये। अधिकतर धनी व्यक्तिया ने ही अपनी कोठियों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराया। भोजन एवं आवास दरें काफी मंहगी हैं, जिससे सामान्य पर्यटक इन आवासों पर ठहरने में कम रूचि दिखाते हैं। नवीन पर्यटन स्थल पर अधिकांश पर्यटक सुरक्षित स्थलों पर निवास करना चाहते हैं। पर्यटक होटल में या समूह में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। शहर के मध्य या शहर से दूर निर्जन स्थानों पर जहां केवल दो या तीन पर्यटक रह रहे हों, ऐसे स्थल पर्यटकों को सुरक्षित नहीं लगते। पंजीकृत आवास पर

नियमानुसार ''साइटसीन'' या टैक्सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इससे वे होटल का स्वरूप ले लेंगे। पर्यटक इन स्थलों पर यातायात के साधनों के लिए परेशानी का अनुभव करता है।

पर्यटकों में सुरक्षा की भावना की कमी –

कई पर्यटक ऐसे पर्यटन स्थल पर ही जाना चाहते हैं जहां सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। शहर से दूर रमणीक स्थलों पर एवं समृद्धशाली प्राकृतिक सम्पदा पर्यटकों को इसलिए आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि उनके मन में सुरक्षा के प्रति आशंका रहती है। ग्वालियर संभाग में 2013 में दतिया के पास डेनमार्क की महिला पर्यटक के साथ बलात्कार हुआ। कई विदेशी पर्यटकों को डकैती एवं लूटपाट का शिकार होना पड़ा। दिसम्बर 2012 में दिल्ली में हुए ''निर्भया काण्ड'' ने पर्यटकों के साथ–साथ नागरिकों के मन में भी भय की भावना भर दी। कई पुलिस थानों में अंग्रेजी बोलने वाले या अन्य देशों के नागरिकों से बात करने वाले पुलिसकर्मियों के अभाव से पर्यटक अपनी शिकायत भी सही रूप से नहीं बता पाते।

पर्यटन स्थलों की पहुंच के लिए सड़कों की अपर्याप्तता –

मध्यप्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, परन्तु उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। ग्वालियर से झांसी के बीच 100 कि0मी0 की दूरी तय करने में सड़क बेहद खराब होने के कारण चार घण्टे से भी अधिक का समय लगता है। माननीय उच्च न्यायालय, संसद, सरकार आदि के सम्पूर्ण प्रयासों के बाद भी यह सड़क अभी बन नहीं पाई है। कई बार पुलों पर पानी भर जाता है, जिससे वह स्थल अन्य क्षेत्रों से कट जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गम्भीर है। आदिवासी क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों की कमी है एवं वाहनों के गैराज भी सीमित मात्रा में हैं। सड़कों की खराब स्थिति के कारण अन्य प्रदेशों की तरह मध्यप्रदेश में पर्यटन इतनी सुगमता से यात्रा नहीं कर पाते। पर्यटकों को सड़कों के किनारे अच्छी गुणवत्ता का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता।

पालतू जानवरों के कारण पर्यटन स्थल जाने में कठिनाई –

वर्तमान में कई मध्यमवर्गीय परिवार भी अपने घरों में पालतू जानवर रखते हैं, जो सुरक्षा के साथ–साथ मनोरंजन का भी साधन हैं। यह पतिष्ठा का भी प्रतीक माने जाने लगे हैं। इनकी देख–रेख करना प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक होता है। कई कर्मचारी स्ज्ब्स्थ् पर जाना चाहते हैं, परन्तु यात्रा में पालतू जानवरों को ले जाने के सम्पूर्ण नियमों की जानकारी उन्हें नहीं होती। यह काफी मंहगा भी होता है। शहरों में विशेष रूप से छोटे स्थलों में पालतू कुत्तों एवं पक्षियों के लिए होस्टल सुविधा बहुत अल्प मात्रा में होती है। इस कारण वह कर्मचारी स्ज्ब्स्थ् की सुविधा नहीं लेते क्योंकि पालतू जानवर घर पर अकेले नहीं छोड़ सकते हैं।

प्राकृतिक आपदाएँ –

प्राकृतिक आपदा पर्यटन में अवरोध उत्पन्न करती हैं। जून 2013 में उत्तराखण्ड में त्रासदी के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अमरनाथ यात्रा भी 1991 से 1995 तक आतंकवादियों के कारण एवं उसके बाद कई वर्षों तक अधिक बर्फवारी एवं तूफान के कारण संभव नहीं हा सकी। कई स्थानों पर बादल फट जाते हैं तथा कई स्थलों पर सुनामी आ जाती है, जिसके कारण पर्यटकों को यात्रा बीच में रोकनी पड़ती है। कई बार मार्ग अवरूद्ध होने पर यात्री अप्रत्याशित रूप से फंस जाते हैं।

सन्दर्भ सूची –

1. Lid off LTC racket : Govt, PSU staff to face CBI,The Times of India, Aug. 23, 2013 p. 7
2. 'Tribes oppose mp govt's portrayal Bhagoria haat festival', in http:/articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-02-26/Bhopal
3. 'मुफ्त तीर्थ यात्रा, लंबा हुआ इंतजार,' दैनिक भास्कर, 9 सितम्बर, 2012, पृष्ठ 5

4. 'नाम पता बदल कर बार–बार यात्रायें कर रहे हैं बुजुर्ग', दैनिक, भास्कर, 22 अगस्त 2013
5. तदैव – पृष्ठ 7
6. 'बर्फानी के नाम पर ठगी', डी0बी0 स्टार, दैनिक भास्कर, 2 जून, 2010, पृष्ठ 9

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CAPITAL ADEQUACY OF BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE CO.LTD AND ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD

Ms. Richa Bhatia
Asst. Prof. Department of commerce, The Bhopal School of Social Sciences (BSSS).
Research Scholar, Barkatullah University,Bhopal (M.P)

ABSTRACT : Since inception the Indian Insurance industry passed through many hurdles and hindrances in order to attain the present status. However, the income earning capacity, eagerness and awareness of the general public are the key determinants of the growth of any insurance industry. In the Indian context, the insurance habits among the general public during the independence decade was rare but there was a remarkable improvement in the Indian insurance industry soon after the economic reform era (1991) due to healthy competition from many national as well as private insurance players.

The present paper is an attempt to study the comparative analysis of Capital Adequacy Position of two major players in Indian Private Non-life insurance scenario i.e. Bajaj Allianz general insurance co.ltd and ICICI Lombard general insurance co. ltd in the light of changes mentioned above. The analysis has been done on the basis of their Capital Adequacy ratios and graphical analysis. At the last concluding remark has been given of the basis of test of significance. The study examines the financial soundness and put forward suggestions for enhancement.

Key Words : Capital Adequacy Analysis, Standard Deviation and t-test.

INTRODUCTION : Insurance is a means of protection from financial loss. It is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of a contingent, uncertain loss. An entity which provides insurance is known as an insurer, insurance company, or insurance carrier. A person or entity who buys insurance is known as an insured or policyholder. The insurance transaction involves the insured assuming a guaranteed and known relatively small loss in the form of payment to the insurer in exchange for the insurer's promise to compensate the insured in the event of a covered loss. The loss may or may not be financial, but it must be reducible to financial terms, and must involve something in which the insured has an insurable interest established by ownership, possession, or preexisting relationship. The insured receives a contract, called the insurance policy, which details the conditions and circumstances under which the insured will be financially compensated. The amount of money charged by the insurer to the insured for the coverage set forth in the insurance policy is called the premium. If the insured experience a loss which is potentially covered by the insurance policy, the insured submits a claim to the insurer for processing by a claim. The insurance sector has been divided into two :

1. **Life Insurance** : Life Insurance is a contract providing for payment of a sum of money to the person assured or, following him to the person entitled to receive the same, on the happening of a certain event. It is a good method to protect your family financially, in case of death, by providing funds for the loss of income.

2. **General Insurance** : Life Insurance is a contract providing for payment of a sum of money on the happening of the event insured. General Insurance can be fire insurance, accident insurance & marine insurance.

INDIAN INSURANCE INDUSTRY : The insurance industry of India consists of 53 insurance companies of which 24 are in life insurance

business and 29 are non-life insurers. Among the life insurers, Life Insurance Corporation (LIC) is the sole public sector company. Apart from that, among the non-life insurers there are six public sector insurers. In addition to these, there is sole national re-insurer, namely, General Insurance Corporation of India (GIC Re). Other stakeholders in Indian Insurance market include agents (individual and corporate), brokers, surveyors and third party administrators servicing health insurance claims.

Out of 29 non-life insurance companies, five private sector insurers are registered to underwrite policies exclusively in health, personal accident and travel insurance segments. They are Star Health and Allied Insurance Company Ltd, Apollo Munich Health Insurance Company Ltd, Max Bupa Health Insurance Company Ltd, Religare Health Insurance Company Ltd and Cigna TTK Health Insurance Company Ltd. There are two more specialized insurers belonging to public sector, namely, Export Credit Guarantee Corporation of India for Credit Insurance and Agriculture Insurance Company Ltd for crop insurance.

MARKET SIZE : India's life insurance sector is the biggest in the world with about 360 million policies which are expected to increase at a compound annual growth rate (CAGR) of 12-15 per cent over the next five years. The insurance industry plans to hike penetration levels to five per cent by 2020.The country's insurance market is expected to quadruple in size over the next 10 years from its current size of US$ 60 billion. During this period, the life insurance market is slated to cross US$ 160 billion. The general insurance business in India is currently at Rs 78,000 crore (US$ 11.7 billion) premium per annum industry and is growing at a healthy rate of 17 per cent. The Indian insurance market is a huge business opportunity waiting to be harnessed. India currently accounts for less than 1.5 percent of the world's total insurance premiums and about 2 per cent of the world's life insurance premiums despite being the second most populous nation. The country is the fifteenth largest insurance market in the world in terms of premium volume, and has the potential to grow exponentially in the coming years.

ROAD AHEAD : India's insurable population is anticipated to touch 750 million in 2020, with life expectancy reaching 74 years. Furthermore, life insurance is projected to comprise 35 per cent of total savings by the end of this decade, as against 26 per cent in 2009-10.The future looks promising for the life insurance industry with several changes in regulatory framework which will lead to further change in the way the industry conducts its business and engages with its customers. Demographic factors such as growing middle class, young insurable population and growing awareness of the need for protection and retirement planning will support the growth of Indian life insurance.

References: Media Reports, Press Releases, IRDA Journal

Top Players in private Non- life insurance sector :

- Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
- ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
- IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.
- Reliance General Insurance Co. Ltd.
- Royal Sundaram Alliance Insurance Co. Ltd.
- TATA AIG General Insurance Co. Ltd.
- Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.

We have selected as the sample of the study the top two private players of Non -Life insurance Sector :

- ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD.
- BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LTD.

ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD : Established in 2001, ICICI Lombard General Insurance Company is a joint venture

between ICICI Bank- India's second largest bank and Fairfax Financial Holdings Limited- a financial services company based in Toronto. ICICI bank has 64% stake in the venture while Fairfax has 35% in the joint venture. ICICI Lombard General Insurance is the largest private sector general insurance company in India.

BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LTD : It is a joint venture between Bajaj Finserv Limited (recently demerged from Bajaj Auto Limited) and Allianz SE. Both enjoy a reputation of expertise, stability and strength. Bajaj Allianz received the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) certificate of Registration on 2nd May, 2001 to conduct various businesses (including Health Insurance business) in India. The Company has an authorized and paid up capital of Rs 110 crores. Bajaj Finserv Limited holds 74% and the remaining 26% is held by Allianz, SE.As on 31st March 2016, Bajaj Allianz continues to be one of the most financially robust insurers in the industry by maintaining its growth as well as profitability. The company has made a profit before tax of Rs. 771 crore and emerged as the most profitable insurer recording a profit after tax of Rs.564 crore. The company reported a GWP of Rs. 5901 crore, which has grown by 11.3% compared to the last fiscal, despite claims post Chennai Floods.

OBJECTIVE OF THE STUDY : To find out the comparative Capital Adequacy position of Bajaj Allianz general insurance co.ltd and ICICI Lombard general insurance co. ltd.

HYPOTHESIS : Ho: There is no significant difference between the Capital Adequacy position of Bajaj Allianz general insurance co.ltd and ICICI Lombard general insurance co. ltd.

Ha: There is significant difference between the Capital Adequacy position of Bajaj Allianz general insurance co.ltd and ICICI Lombard general insurance co. ltd.

RESEARCH METHODOLOGY : This study is done with special reference to the two most preferred and trusted Indian private sector non-life insurance companies they are Bajaj Allianz general insurance co.ltd and ICICI Lombard general insurance co. ltd. For this purpose exploratory method has been adopted as it helps to investigate any problem with suitable hypothesis and it is also important for the clarification of the concept. The study is based on secondary data and the comparison has been made on the Capital Adequacy position of both the companies.

RESEARCH TOOL : In this study, for interpreting the results modern financial analysis have been carried out which minutely evaluates and examine relevant components for companies Capital Adequacy which can be viewed as the key indicator of an insurer's financial soundness. Capital is seen as a cushion to protect insured and promote the stability and efficiency of financial system, it also indicates whether the insurance company has enough capital to absorb losses arising from claims. For the purpose of calculation of capital adequacy of companies is important. Under study, two ratios have been used, prescribed by IMF and World Bank (IMF, 2005). (i) The ratio of Net Premium to Capital and (ii) The ratio of Capital to Total Assets The research tool applied to prove the assumption is the test of significance. After judicious evaluation of all performance parameters companies are ranked according to their performance. The outcome of the study depends on the selected period by the researchers which may differ from other analysis.

DATA COLLECTION : The researcher has collected information from various internet sources, published reports, magazines, annual reports and the websites of the companies. The study examines the financial statements Revenue Account, Profit and Loss Account and Balance Sheet of last Ten years of the respective corporations i.e. from 2005-15.

REVIEW OF LITERATURE : A Study conducted by **Ravi Parkas, S., Satyanarayana Chary, T. and Shyamsunder, C. (2003)** article "Globalization - It's Impact on Insurance Industry" Indian journal of marketing revealed that the size of the existing insurance market is very large. It is also growing at the rate of 10% per year. The estimated potentiality of the Indian insurance market in terms of premium is around $80 billion in 1999 only.

Krishnamurthy, S. (2005) : in his article entitled insurance sector challenges of competition and future scenario concludes that the limited availability of data on policyholders, the low awareness among policyholders the inadequate infrastructure and technology are the major problems of the insurance industry in marketing its products.

Namasivayam, Ganesan, S. and Rajendran, S. (2006) examined the socioeconomic factors that are responsible for purchase of life insurance policies and the preference of the policyholders towards various types of policies of Company. From the analysis, it was found that factors such as age, educational level and sex of the policyholders are insignificant, but income level, occupation and family size are significant factors for the purchase of LIC products.

A study conducted by **Rajesham, Ch. and Rajender, K. (2006)** article "Changing Scenario of Insurance Sector" Indian Journal of marketing revealed that insurance companies of India are required to come up with multi-benefit policies including tax benefits with quality based timely customer services and need to focus on health insurance which is one of the untapped areas of insurance including services through innovative products, smart marketing and aggressive distribution with internet facility with much individual attention transparency and flexibility to increase the quality and volume of insurance business. Today, the focus is on selling more products to existing customers to improve profitability, therefore customer – focused strategies require an effective CRM ensuring insurance firms monitor the ebb and flow of customer behavior, giving them a holistic 360-degree view for their customers.

A study conducted by **Raman, N. and Gayathri, C. (2006)** article "A Study on Customer's Awareness towards New Insurance Companies", Indian journal of Marketing revealed that customers are now looking at insurance as complete financial solutions offering stable returns coupled with total protection. Companies will need to constantly innovate in terms of product development to meet over changing consumer needs. Understanding the customer better will enable insurance companies to design appropriate products, determine price correctly and increase profitability. In the present scenario a key differentiated would be professional customer service in terms of quality of advice on enhancing the customer convenience.

A study conducted by **Bodla, B.S. and Sushma Rani Verma (2007)** article "Life Insurance Policies in Rural Area and Understanding Buyer Behavior", ICFAI University revealed that insurance sector plays a very important role in the development of any economy and it provides long-term funds for infrastructure Development and at the same time strengthens the risk taking ability.

A study conducted by **Tanmay Chary, Harshita Mishra and Venkataseshaiah, S. (2007)** article "Customer Preferences in Insurance Industry in India". The ICFAI journal of marketing services revealed that the purchasing decision of the consumer depends on quality, accessibility, company type, recommendations and promptness of service. India is poised to experience major changes in its insurance markets as insurers operate in an increasingly deregulated and liberalize environment. For consumers, opening up of the insurance sector will mean new products, better packaging and improved customer service.

Patil, P.B. and Thakkar, P.N. (2007) article "Impact of Disinvestment on Banking and Insurance Sector" revealed that a strong competition among the insurance companies has led to better services being provided by customer satisfaction can be known from the customer retention ratio. Now most of the companies are customer centric approach, rather than product centric approach which is leading to customer-retention ratio.

A study conducted by **Keerthi, P. and Vijayalakshmi, R. (2009)** "A Study on the Expectations and Perceptions of the Services in Private Life Insurance Companies" reveals that the policyholders' expectations are well met in the case of certain factors reacting to service quality. But in the case of other variables, there exists a significant gap which means that policyholders have experienced low levels of service as against their expectations. If all the players in the Life insurance industry focus on the effective delivery of services, they can win the hearts of customers and anticipate their increased market share.

A study conducted by **Sunayna Khurana (2008)** article "Customer Preferences in Life Insurance Industry in India", revealed that the insurance sector plays a very important role in the development of any economy. It is necessary for the economic and overall development of any country. In today's competitive economy, the business, finance and insurance sector plays a very important role. More and more job opportunities are available in these sectors.

A study conducted by **Raja, S. and Gurupandi, M. (2009)** in their article "Analysis of the Socio Economic Background and Attitude of the Policyholders towards Life Insurance Corporation of India", Smart Journal of Business Management Studies revealed that the study was of great help to the policyholders, as it was aimed at finding the attitude towards the services of Life Insurance Company. Hence the prospective customers, who propose to buy the insurance products and avail of the services of an insurance company for the first time, can get benefited by the best service provider.

A study conducted by **Varaprasad, V. and Murali Krishna, B. (2009)** article "Insurance sector: Strategies for Intermediation and Marketing", Smart Journal of Business Management studies revealed that the suggestions brought forward by this study are mixed. The contribution of insurance sector to economic development hardly affects financial intermediation. He concluded that in order to make insurance sector significant component of financial intermediation process, complete deregulation and increase in face of reforms are essential at the same time, by adopting proper segmentation capture significant share in the market for the overall benefit of organizations.

Praveen Sanu, Gaurav Jaiswal and Vijay Kumar Panday (2009) in their article, "A Study of Buying Behaviour of Consumers towards Life Insurance Company", Prestige institute of Management and Research, Gwalior, revealed that in present Indian market, the investment habits of Indian consumers are changing very frequently. The individuals have their own perception towards various types of investment plans.

Selvavinayagam, K. and Mathivanan, R. (2010) article has revealed that the competitive climate in the Indian insurance market has changed dramatically over the last few years. At the same time, changes have been taking place in the government regulations and technology. The expectations of policyholders are also changing. The existing insurance companies have to introduce many new products in the market, which have competitive advantage over the products of life insurance companies.

FINANCIAL SOUNDNESS :

CAPITAL ADEQUACY : Capital Adequacy is viewed as the key indicator of an insurer's financial soundness and prudential standards recognize the

importance of adequate capitalization with solvency as key focus area of insurance supervision. However, unfortunately there are no internationally accepted standards for capital adequacy of insurance companies. The greater risk to the financial stability of an insurer stems from underwriting business that is either too great in volume or too volatile for its capital base or otherwise whose ultimate result is too difficult to determine. Analysis of capital adequacy depends critically on realistic valuation of both assets and liabilities of the insurance companies. Capital is seen as a cushion to protect insured and promote the stability and efficiency of financial system, it also indicates whether the insurance company has enough capital to absorb losses arising from claims. Although insurance regulator has not prescribed any norm to maintain the minimum capital adequacy ratio as RBI has prescribed to maintain it to a minimum of 8 percent in banking sector, instead regulator has asked insurance companies to maintain solvency margin of 1.5 i.e. excess of assets over liabilities, monitored now on quarterly basis, moreover IRDA issues registration to those companies only having capital base of minimum of Rs. 100 crores. For the capital adequacy analysis of the insurers two capital adequacy ratios have been used in present study i.e. Net Premium to Shareholder's Fund and Shareholder's Fund to Total Assets ratio. The former reflects the risk arising from underwriting operations and the latter reflects assets risk. Net premium is a convenient proxy for the quantum of retained indemnity risk, that is, risk the insurer retains after reinsurance, being the risks that must be covered by own capital. Due to absence of international norm, capital is defined as total equity capital plus reserves.

T-TEST : The t test (also called Student's T Test) compares two averages (means) and tells if they are different from each other. The t test also tells you how significant the differences are; In other words it lets you know if those differences could have happened by chance. The following formula to calculate the t-score:

$$t = \frac{(\Sigma D)/N}{\sqrt{\dfrac{\Sigma D^2 - \left(\dfrac{(\Sigma D)^2}{N}\right)}{(N-1)(N)}}}$$

ΣD: Sum of the differences (Sum of X-Y)

ΣD^2: Sum of the squared differences

$(\Sigma D)^2$: Sum of the differences, squared.

Compare your t-table value from to your calculated t-value. The calculated t-value is greater than the table value at an alpha level of .05. The p-value is less than the alpha level: $p < .05$. We can reject the null hypothesis that there is a difference between means.

DATA ANALYSIS :

Net Premium and Shareholder's Fund of Selected Private Sector Non-Life Insurance Companies of India (Period from 2005-06 to 2014-15) (Rs. In Lacs)

YEAR	Bajaj Allianz		ICICI Lombard	
	Premium	Fund	Premium	Fund
2005-06	58637	26707	52768	37292
2006-07	83853	40341	106665	79271

2007-08	**141544**	**57732**	**156718**	**107596**
2008-09	**189127**	**67247**	**197365**	**160265**
2009-10	**188420**	**69330**	**219282**	**167312**
2010-11	**214965**	**83657**	**285616**	**153083**
2011-12	**247468**	**86023**	**354900**	**185673**
2012-13	**292433**	**125531**	**400925**	**185866**
2013-14	**349305**	**166429**	**435291**	**238109**
2014-15	**383190**	**222548**	**423533**	**282332**

Source: Annual Report of Accounts of respective companies from IRDA

Ratio of Net Premium and Shareholder's Fund of Selected Private Sector Non-Life Insurance Companies of India (Period from 2005-06 to 2014-15)(In Percentage)

	Bajaj Allianz	**ICICI Lombard**
YEAR	**PRE/FUND ratio**	**PRE/FUND ratio**
2005-06	**219.56**	**141.50**
2006-07	**207.86**	**134.56**
2007-08	**245.17**	**145.65**
2008-09	**281.24**	**123.15**
2009-10	**271.77**	**131.06**
2010-11	**256.96**	**186.58**
2011-12	**287.68**	**191.14**
2012-13	**232.96**	**215.71**
2013-14	**209.88**	**182.81**
2014-15	**172.18**	**150.01**

Ratio of Net Premium / shareholder's fund *100 Shareholder's fund = Equity share capital + Reserve & Surplus

Analysis for calculated ratio for selected private sector Non-life Insurance Companies : The ratio of net premium to the shareholder's Fund, witnessed for Bajaj Allianz General Insurance Company Limited fluctuating trend in the ratio ranging between 207.86 and 287.68 percentages but has decreased to 172.18 in 2014-15. While ICICI Lombard General Insurance Company Limited also shows fluctuation trend in ratio ranging between 123.15 and 215.71% during the research period. This indicates that the business of all the selected private sector companies was also supported by the fair amount of capital for all the private insurers.

GRAPHICAL ANALYSIS :

Graphs for Ratio of Net Premium and Shareholder's Fund of Selected Private Sector Non-Life Insurance Companies of India

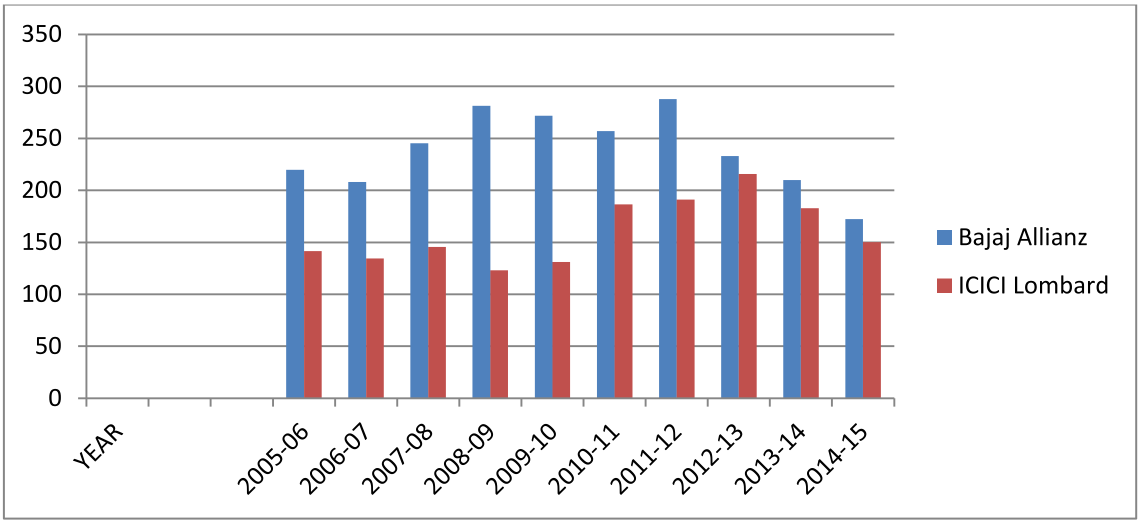

STATISTICAL ANALYSIS :

T-Test for Ratio of Net Premium and Shareholder's Fund of Selected Private Sector Non-Life Insurance Companies of India

	Bajaj Allianz	ICICI Lombard
Mean	238.5265	160.2171
Variance	1364.764	976.6449
Observations	10	10
Hypothesized Mean Difference	0	
df	18	
t Stat	5.117706	

P(T<=t) one-tail	0.000036	
t Critical one-tail	1.734064	
P(T<=t) two-tail	0.000072	
t Critical two-tail	2.100922	

In the analysis, an alpha of **0.05** is used as the cutoff for **significance**. If the **p**-value is less than **0.05**, we reject the null hypothesis that there's no difference between the means and conclude that a **significant** difference does exist. In the above analysis the t-value is 5.11759. The p-value is .000072. The result is significant at $p < .05$..Hence Null Hypothesis is rejected and Alternative Hypothesis is accepted that **there is significant difference between the** capital adequacy position of Bajaj Allianz general insurance co.ltd and ICICI Lombard general insurance co. ltd.

Shareholder's Fund /Total Assets Shareholder's Fund and Total Assets of Selected Private Sector Non-Life Insurance Companies of India (Period from 2005-06 to 2014-15) (Rs. In Lacs)

Year	Bajaj Allianz		ICICI Lombard	
	Fund	Assets	Fund	Assets
2005-06	26707	106329	37292	163909
2006-07	40341	169607	79271	295405
2007-08	57732	255270	107596	379419
2008-09	67247	316703	160265	548421
2009-10	69330	373242	167312	668627
2010-11	83657	444656	153083	822870
2011-12	86023	537899	185673	1052516
2012-13	125531	653725	185866	1186870
2013-14	166429	777376	238109	1354488
2014-15	222548	890185	282332	1365639

Source: Annual Report of Accounts of respective companies from IRDA

Ratio of Shareholder's Fund and Total Assets of Selected Private Sector Non-Life Insurance Companies of India (Period from 2005-06 to 2014-15) (Rs. In Lacs)

	Bajaj Allianz	ICICI Lombard
Year	FUND/ASSET Ratio	FUND/ASSET Ratio
2005-06	25.12	22.75
2006-07	23.78	26.83
2007-08	22.62	28.36
2008-09	21.23	29.22
2009-10	18.58	25.02
2010-11	18.81	18.60
2011-12	15.99	17.64
2012-13	19.20	15.66
2013-14	21.41	17.58
2014-15	25.00	20.67

Ratio = shareholder's fund / Total Assets *100 Shareholder's fund = Equity share capital + Reserve & Surplus
Total Assets = All Assets excluding fictitious Assets.

The ratio of shareholder's fund to Total Assets, witnessed for Bajaj Allianz General Insurance Company Limited fluctuating trend in the ratio ranging between 15.99 and 25.12 percentages. Whereas ICICI Lombard General Insurance Company Limited also shows fluctuation trend in the ratio ranging between 17.64 and 29.22 percentage during the research period. Bajaj Allianz shows a high ratio in the research period as compared to ICICI Lombard. As the lower ratio indicates the greater asset base of the company while a higher ratio indicate the total reliance on Shareholder's Fund.

GRAPHICAL ANALYSIS :

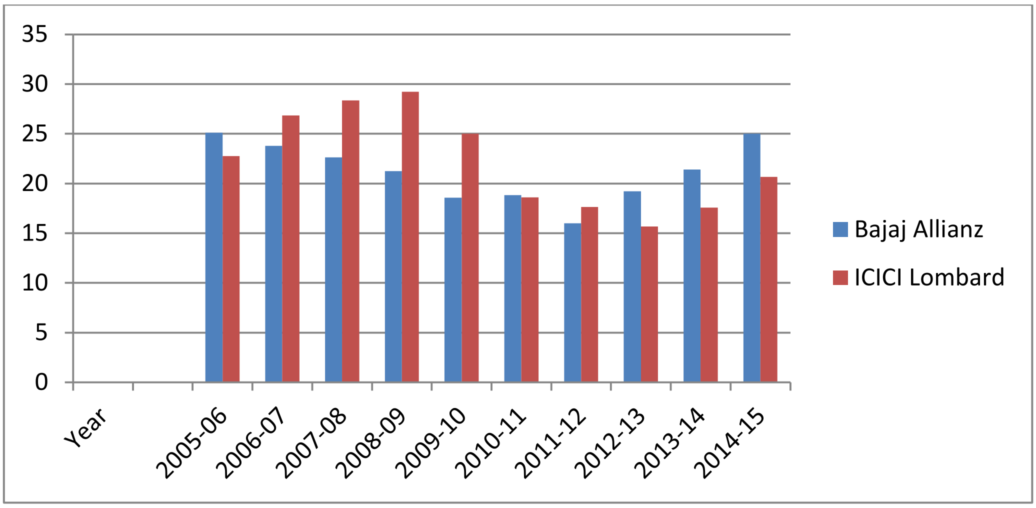

STATISTICAL ANALYSIS :

T-Test for Ratio of Shareholder's Fund and Total Assets Selected Private Sector Non-Life Insurance Companies of India

	Bajaj Allianz	ICICI Lombard
Mean	21.17449	22.23485
Variance	9.133976	24.12853
Observations	10	10
Hypothesized Mean Difference	0	
df	15	
t Stat	-0.5814	
P(T<=t) one-tail	0.284802	
t Critical one-tail	1.75305	
P(T<=t) two-tail	0.569604	
t Critical two-tail	2.13145	

In the analysis, an alpha of 0.05 is used as the cutoff for significance. If the p-value is less than 0.05, we reject the null hypothesis that there's no difference between the means and conclude that a significant difference does exist. In the above analysis the t-value is -0.58066. The p-value is .568667. The result is not significant at $p < .05$..Hence Null Hypothesis is accepted that there

is no significant difference between the capital adequacy position of Bajaj Allianz general insurance co.ltd and ICICI Lombard general insurance co. ltd.

CONCLUSION : Bajaj Allianz General Insurance has performed better as per both capital adequacy norms as compared to ICICI Lombard in the research period. Net Premium to Shareholder's Fund reflects the risk arising from underwriting operations. Net premium is a convenient proxy for the quantum of retained indemnity risk, that is, risk the insurer retains after reinsurance. The higher capital adequacy ratio is considered as good, although no benchmark has been prescribed by IRDA, however, to ensure safety against insolvency, high capital adequacy ratio is desirable. This indicates that the business of Bajaj Allianz General Insurance was supported by the fair amount of capital for all the private insurers. The ratio of Shareholder's Fund to total assets indicates the proportion of Shareholder's Fund in the total asset portfolio of the companies, growth in the assets of the business and how efficiently the Shareholder's Fund has been invested to create assets. Lower ratio may be preferred at higher one, as higher ratio indicates total reliance on Shareholder's Fund where as a lower ratio indicate the greater asset base of the company. Shareholder's Fund to total assets reflects assets risk.

REFERENCES :

1. R.M.Shrivastva,(2000) Essentials of Business Finance, Himalaya Publishing House, Seventh Revised Edition.

2. I.M.Pandey, Financial Management, Eighth Edition, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, P.P. 108 to 179.

3. C. M. Chaudhary (1999), Research Methodology, RSBA Publishers, Jaipur.

4. D.D.Sharma, Marketing Research- Principles, Applications And Cases, Sultan Chand And Sons, New Delhi.

5. M. N. Mishra & S. B. Mishra (2007) "Insurance Principles and Practice", S.Chand & Company Ltd, New Delhi.

6. IRDA Annual Reports, "Insurance Regulatory and Development Authority.
7. www.irdaindia.org
8. https://www.icicilombard.com/
9. https://www.bajajallianz.com/

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का बाधित होनाः एक गंभीर समस्या

डॉ. महेन्द्र कुमार बिसेन
वरिष्ठ अध्यापक, शास. उ.मा. विद्या. मुर्गहाई, जिला–सिवनी म.प्र.

सारांश :– शिक्षा एक ऐसा साधन है, जो मनुष्य को समाज व देश निर्माण के योग्य बनाता है। शिक्षा मनुष्य को सही गलत व प्रत्येक परिस्थिति अनुसार व्यवहार करना सिखलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी सरकार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने व उसकी सभी वर्गो तक पहुँच बढ़ाने के लिए कई प्रयास किया है, जिसका परिणाम है कि आज लगभग सभी वर्गो मुख्यतः पिछड़े व दलित आदिवासी वर्ग के लोगों तक शिक्षा का प्रसार हो रहा है। परन्तु सरकारी प्रयासों का बहुत निम्न लाभ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिल पाता है, जिसका अध्ययन हम इस लेख में कर रहे है।

प्रस्तावना :– ह्यूमन रॉइट वॉच के अनुसार जब से सरकार ने नक्सली तथा माओवादी क विरुध्द अपनी गतिविधियां आक्रामक ढ़ंग से तेज की है, तब से भारत के नक्सल प्रभावित राज्यों के लगभग 30 हजार बच्चों का शिक्षा का भविष्य हँसिये पर है। यह ह्यूमन रॉइट वॉच की हॉल ही में जारी रिपोर्ट है। ह्यूमन रॉइट वॉच मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है।

ह्यूमन रॉइट वॉच का शोध शीर्षक है नाकाम करो स्कूल शिक्षाः '' स्कूलों में नक्सली हमले तथा अधिवास,'' अपनी 103 पेजों की रिपोर्ट में ह्यूमन रॉइट वॉच ने विस्तार से लिखा है कि माओवादी जिन्हे साधारण भाषा में नक्सली कहा जाता है, अपने नक्सली गतिविधियों को और अधिक सक्रिय तथा आक्रामक बनाने के लिए सरकारी स्कूलों को निशाना बनाते है। इनका मुख्य उद्देश्य शासन के कार्यक्रम को ध्वस्त करना होता है। चाहे इसमें मासूम बच्चों की जिंदगी क्यों नहीं चली जाये। इसके अलावा पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्स भी शिक्षा पद्धति व कार्यविधियों को लम्बे समय तक स्कूली भवनों को अपना अधिवास बनाकर बाधित करती है, यद्पि पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स इन भवनों का प्रयोग एण्टी नक्सली गतिविधियों के लिए करती है परन्तु इसके कारण भी स्कूली शिक्षा लम्बे समय तक बाधित रहती है।

माओवादी (नक्सलवादी) कहते है, कि वे भारत के गरीब लोगों के लिए लड़ रहे है, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे है, परन्तु उनके नक्सली हमले इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे, जहां शिक्षा की बच्चों को अति आवश्यकता है, माता–पिता मजबूरी वश बच्चों को स्कूल नहीं भेज पातेए क्योंकि उन्हे डर होता है कि कहीं नक्सली हमले में हम अपने बच्चों को खो ना दे।

नक्सलवादी व माओवादी स्कूलो भवनों व इमारतों पर अक्सर इसलिए हमला करते है क्योंकि ऐसे रिमोट क्षेत्रों में ये भवन ही एकमात्र सरकारी सम्पत्ति होती है और नक्सलवादियों का उद्देश्य ही सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना होता है। सरकारी स्कूली इमारतें इनके लिए आसान व सरल दृश्य लक्ष्य हो जाता है, जिसको नुकसान पहुँचाकर वह सरकार के खिलाफ कार्यवाही कर सकते है। पिछले कुछ वर्षो के मामलों पर नजर डाले तो झारखण्ड के कुल 20, बिहार के 5 व छत्तीसगढ़ के 10 स्कूलों पर नक्सली हमले हुए है। इन हमलों से नक्सली अपना ध्यान आकर्षण कराकर, अपना डर, आतंक स्थानीय समुदाय में फैलाना चाहते है।

शासन के असफल प्रयास जो न ही इन नक्सली हमलों को रोक पाता है और ना ही क्षतिग्रस्त स्कूली इमारतों को जल्दी से जीर्णोद्धार कर पाता है, इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव बच्चों को शिक्षा के प्रति हतोत्साहित करता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मं शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास :– ग्रामीण पिछड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिर्फ सरकारी स्कूल ही एकमात्र शिक्षा का साधन है। अतः सरकारी स्कूलों पर नक्सली हमले इन क्षेत्रों में शिक्षा पर बहुत बुरा असर डाल रहीं है।

नक्सल प्रभावित राज्यों में केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर कई योजनाएँ चलाती है। इन योजनाओं से वहाँ के निवासियों को इसका लाभ मिल सके। शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए योजनाएँ बनाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए ''केजी पीजी'' शैक्षिक केन्द्र की योजना बना रही है। विदर्भ के गढ़चिरोली और गोंदियाँ जिलों में पायलट आधार पर आवासीय विद्यालय शुरू किये गये है, जो आदिवासी छात्रों को बालवाड़ी से स्नाकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते है। इसके अलावा आदिवासी कल्याण मंत्रालय इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जहाँ की मूलतः जनसंख्या आदिवासी है, के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है जो इस प्रकार है–

1. आदिम जनजातीय समूह के विकास की योजनाएँ– इस योजना के अन्तर्गत आवास बुनियादी ढ़ाचे का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि संवितरण, कृषि विकास, पशु विकास, सामाजिक सुरक्षा बीमा आदि शामिल है।

2. जनजातीय अनुसंधान संस्थान– आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि राज्यों में जनजातीय अनुसंधान सीापित किए गये है। ये संस्थान राज्य सरकारों को योजना संबंधी जानकारियाँ जैसे अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन, आकड़ों का संगह, प्रथागत कानून आदि का अध्ययन करती है।

3. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों/लड़कों हेतु छात्रावास– जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा हेतु उनकों बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने कि उद्देश्य से छात्रावास योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी।

4. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र– इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न पारम्परिक आधुनिक व्यवसाय में उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्तमान आर्थिक रूझानों तथा बाजार क्षमता के आधार पर जनजातियों के कौशल का उन्नयन करना है।

5. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों क लिए कोचिंग व आश्रम शालाओं का निर्माण करना।

6. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता तथा अनुदान प्रदान करना।

7. अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करना।

यद्पि आदिमजाति कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों के क्षेत्रों के कई प्रयास किये जा रहे, परन्तु ये सभी प्रयास उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए लाभदायक है, परन्तु प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए क्या यह योजनाएँ लाभप्रद है, नहीं है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का एक मात्र साधन सरकारी स्कूल है जो आय दिन नक्सली गतिविधियों के कारण या तो बर्बाद हो चुके है या बंद पड़े हुऐ है।

निष्कर्ष :– नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का बाधित होना एक गंभीर विषय है, शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास कर उस राष्ट्र के विकास का भागीदार बनाती है शिक्षा का अभाव मनुष्य को भटकाव की ओर ले जा कर अनैतिक व असामाजिक बनाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से स्कूली शिक्षा प्रभावित या बाधित हो रही है। वह ना सिर्फ उस राज्य बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए हानिकारक है। शिक्षा से अलगांव बच्चों को नक्सली गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित करेगा। जहाँ हम नक्सली समस्याओं को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे है, वहीं एक ओर शिक्षा का जो स्तर नक्सली क्षेत्रों में बाधित हो रहा है, जो एक नक्सली पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है तथा भविष्य में एक गम्भीर समस्या बन कर उभरेगा। ह्यूमन रॉइट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार– अगर हम बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जो नक्सली गतिविधियों से अप्रभावित रहे, जैसे सरकारी स्कूलों को ऐसे स्थानों में स्थापित करें जो सुरक्षित हो तथा जहाँ इन क्षेत्रों के बच्वें आसानी से आ–जा सके। इन क्षेत्रों में सुरक्षा के पख्ता इतंजाम हो, जिससे माता–पिता के मन जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर है, वह दूर हो सके।

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सुधार के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही है। उनकी क्रियान्वयन व प्रगति सुनिश्चित की जानी चाहिए। तभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का विकास होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ :–

1. ह्यूमन रॉइट वॉच रिपोर्ट 2010, 2011, 2016.
2. भारद्वाज ए.न. दि प्राबलैक्स ऑफ शेडल्ड कांस्टस एण्ड शेडल्ड ट्राइल्स इन इंडिया, लाइट एण्ड लाइफ 1979.
3. सच्चिदानंद द हरिजन इलिट–ए–स्टडी ऑफ देयर स्टेट्स नेटवर्क, मॉबलिटी एण्ड रोल इन सोशियल ट्रांसफारमेशन.
4. रिपोर्ट फॉर द शिडयूल्ड कॉस्टस एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब 1855, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
5. आदिम जाति कल्याण विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2016–17.

A BRIEF INTRODUCTION OF SOME ARCHEALOGICALLY IMPORTANT TEMPLES OF ANCIENT KASHMIR

TAHIRA KHANAM
RANI DURGAVATI VISHWAVIDAYALYA JABALPUR (M.P.)

Abstract :- This research paper talks about the temples of ancient Kashmir, where in I' will be discussing about the various aspects of architectural designs, I have used mainly primary as well as secondary sources as mark of reference and also has done personal visits of sites like Parihaspura, Shankaracharya and Martand Temple, Kashmiri Temple architecture has shown signs of advancements and maturity than other contemporary architectural designs, of Indian sub continent. I have tried to bring out some key aspects of few important temples of ancient Kashmir.

Keywords :- Architectural Temples, Trefoiled, Kashmir, Lofty, Pyramidal Pediments.

Introduction :- The architectural remarks of Kashmir are perhaps most remarkable of the existing monuments of India as they exhibit traces of influence of Grecian art. The Hindu temples are generally a sort of architectural partly where in designs of temples seems simple, yet much focused is done provided on the huge collection of ornamental - fritters huddled together with or without keeping. On the other hand the Kashmirian fans are distinguished by the graceful eligence of their outlines massive boldness of the parts and by lively features of their decoration. The Kashmiri temples are featured by lofty pyramidal and lofty roofs, trefoiled-doorways covered by steepy pediments and the great width of intercolumnation. Let's take few examples to analyse various aspects of architectural designs of ancient Kashmir.

Shiva Temple Shankaracharya Hill :- The Shankara Charya Hills popular name of Gopadri Hill has a monumental remain in the form of Shiva Temple, Shankaracharya hill is just opposite to Hariparbat. It resides in the heart of the Srinagar City. From the very ancient times Gopadri hills has been the centre of Hindu pilgrimage. Rajtarangni has mentioned about this hill quiet frequently and assigns that the son of Ashoka (Jaluka, who was follower of Shivism) constructed a temple of Jyeshtharudra. In another tradition it is also related with Gopaditya who is believed to have built a temple named as Jyestheshvar. However stein has identified Gopadri as Takti-E-Sulemani, a name given by muslims during medieval period. It is believed that the name Jyeshtharudra and Jyeshthesvar are synonyms and it appears that kalhana has referred to the same temple in different contexts without going into much detail. The tradition of Jyeshthesvar was deep rooted in Kashmir Valley, Since the earliest times but it achieved concreate form in 6th to 7th century AD. During the 15th - 16th Century AD Sultan Sikander's Minister Suhabat converted muslim carried out unprecidented destruction of ancient temples and icons. The detail of which is given in the chronicle of Jonaraja[(1)]. Gorge Foster and William Moorcroft have described the hill but not the temple, it was though Alexander Cunningham[3] who described the temple and its various parts in detail. Dayaram Sahni[(4)] and R.C.Kak[(5)] described the temple of classical age and considered its different segments in the process of evolution.

The temple is built on a hill with an ordinary appearance and simple location. The simplicity of structure and the semi circular arch built on flights of steps as a doorway leading to the temple complex indicate that the architecture design was of the evolutionary stage of temple

architecture in the Kashmir valley. The temple proper stands raised on a plateform surrounded by an octagonal parapet wall. The temple faces east. The Octagonal parapet wall is 7.10 metres high from the ground. On three sides it is natural rock, while on the fourth side (North Eastern Side) is built with dressed and polished stones. The stair case leading to the temple proper is divided into two parts, upper and lower level. In the lower level it is 185 mtrs high with simple treatment while as the upper one has flate moulding. The gateway provided in the steps is 240 mtrs high and 0.58 mtrs wide. The earliest photograph published H.C cole in his note fairly gives the idea that the trefoil arch had been introduced and had a primitive character.(6)

2. **Buddhist monuments parihaspura** :- During the 7th century a powerful dynasty laid its foundation in Kashmir under its great leader durlabhavardana. It was during this period Kashmir got a political twist as one of the known leader of Karkota dynasty Lalitaditya mukatapida became the king of Kashmir. He conquered various territories, while during his conquest of the various territories he recieved many tributes and also collected large bounties. When he returned back, he filled his treasures with gold, silver and other jewelleries. Also the conqured territories yielded great amount of revenue. Such economic prosperity encouraged Lalitaditya to built a marvelous city as its capital for the well being of his subject. The variety of buildings for eg temples, stupas, chaityas, and viharas were built. The first monument which was constructed by Laditaditya is the stupa of parihaspura. Parihaspura is situated on a Karewaland at a distance of approximately 28 kms from Srinagar. The monumental ruins of Pariharspura were first put to systematic exposition by Dryaram Sahni in 1914-15 (7). Amongst the structures exposed by D. R. Sahni the important were stupa, a monastery and a chaitya. After the exposition what came to notice was a big basement, well preserved and numerous carved architectural members of stupa consists of double platform for circum ambulation around the stupa. The upper platform is 3.65 mtrs high and the lower is 2.65 mtrs. It is built with cyclopean blocks of stones. The base of the stupa is square in plan measures 74.5 mtrs square. The stairway s are placed in the middle of projection, but much of these steps have been whiered out, however side walls are fairly intact. The front of each of these blank walls is occupied by a square panel containing a figure of an atlants seated crosslegged. The figure is wearing ornaments of garland and jewellery. The drum of stupa must have been ornamented and might have contained figures of seated Buddha and Bodhisatvas. By the side of the stupa there is Buddhist monastery. That is most depilated form. It is so much ruined as much of the detail is disappeared and at many places. It is difficult to reconstruct even its plan. The basement of this monastery is 3.05 mtrs high and it faces east. The inner courtyard was probably paved with stones slabs. The another structure built at Parihaspura is Chaitya Temple. It is a square chamber structured on a raised plinth measuring 8.23 Square mtrs. It is surrounded by a circumbulatory passage and is supported by a set of four stone columns at the corners. From the remains of the corners and pillars it appears that roof must have been of pyramidal type.

The plinth of the Chaitya is built with massive stones and many of fine architectural fragments.[8]

3. **Martant Temple** :- The sun temple martand commonly called the house of Pandus has been built on the highest part of the Karewas. It is located to the north of district headquarter Anantnag at an approximate distance of 8 Kmtrs. Cunningham believes that the temple was built by king panaditya and his predecessor, where as stein believes that the temple was built by Lalitaditya muktapida. But Kalhana refers the martand to king Kalasa who was the king of lohara dynasty (9). Among all the temples of Kashmir Martanda represents the beauty and excellence of typical kashmiri architectural style. The temple is now in ruined state, however it fascinates the visitors by

its massive structure, solidity, simplicity in its art yet elaborative in detail and dignity. The destructive forces may include vandalisation, descration, desertion and no periodical repairs and maintenance. The temple was constructed with neatly dressed stone slabs. The traces of plan have been drafted on mere hypothesis and little clues present as the temple is in the worst diplated form [10]. The temple is built on a high raised platform and is approached by staircase. The inner platform has 3 major project ions and is relieved with a row of pilasters at regular interval. The grandure, style, architectural design, the sculptures, the internal sanctum. the cells, the gateway of this temple stands at its best and is one of the finest example of Kashmiri temple architecture [11].

Conclusion :- Kashmiri temples show classical mix of various art forms where in various features of Grecian, Gandhara, Gupta architecture had been taken into form. The Pyramidal roof and pediment have been taken from the Grecian - architecture. The mandapa (sanctum) area, it elevatedness, small shrines on sides of sanctum and the recesses on walls, are glimpses of Gupta Architecture, while the trefoiled doorways, pilastered walls, standing figures of gods seems to have been taken from Gandhara Architecture. It is noble mix of different and elite architectures of ancient times that seem sto have only possible by high and advanced skills and artsmanship. Kashmiri designers and masoners seem to have reached to maximum heights and their know how in mix the elements of various arts forms. Also on further analysis, We can clearly see many similarities in temples and viharas. In viharas the common worship hall is situated in the centre like that of sanctum of temples. Also both the places have elevated pediments and trefoiled two folded doorways. Thus there is a consistency in design of architecture of both the places. Though the religious differs in worship traditions and styles.

References :-

1. Sadhu, S.L (ed.) "Medival Kashmir" (New Delhi 1993) (P-54).

2. Forster, G. "A Journey from Bengal to England through the northern part of India, Kashmir, Afghanistan and Persia and into Russia by the Caspian sea, vol II" (London 1798) (P-9-12).

3. Alexander Cunningham, (Journal of Asiatic Society of Bengal) (Vol - II) (Pt - II) (1848). (PP 241-327).

4. Sahni, D.R. "Annual Report of Archealogical survey of India 1915-16" (PP. 49-78).

5. Kak, R.C. "Ancient Monuments of Kashmir (New Delhi 2000) (PP 73-76).

6. Ramesh Chandra Agarwal, "Kashmir and its monumental glory". (Aryan books international 2002) (P - 119-123).

7. Shani, D.R., "Excavation at Parihaspura" (A.R. of A.S.I.) (1914-15) (P-70-75)

8. Ibid (P-76-78).

9. M. Stein Translation "Rajtaragini Vol I" (Delhi 1979) (P-325).

10. Alexander Cunnigham (J-A.S.B.) (Vol - II) (P-II) (1848) (PP - 241-327).

11. J, Fergussion, "History of Indian and Eastern Architecture" (London 1910) (PP - 251-70).